वार्षिक प्रतिवेदन

2022-23

सहकारिता मंत्रालय

Ministry of Cooperation

भारत सरकार

Government of India

वार्षिक प्रतिवेदन

2022-23

सहकारिता मंत्रालय

Ministry of Cooperation

भारत सरकार

Government of India

सहकार से समृद्धि

प्रस्तावना

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की **"सहकार से समृद्धि"** की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। इस नवगठित मंत्रालय के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने एक वर्ष के अल्पकालिक समय में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु कई नई पहलें और ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की है।

सहकारिता मंत्रालय की प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के माध्यम से मंत्रलाय द्वारा शुरू की इन नई पहलों और योजनाओं पर संक्षिप्त में जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है जो सहकारिता क्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और सहकारिता क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करेंगी ।

विषयसूची

क्रम सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	**सहकारिता मंत्रालय का परिचय**	
1.1	अवलोकन	1
1.2	सहकारिता मंत्रालय का गठन	2-3
1.3	विज़न और मिशन	3
1.4	अधिदेश (कार्य-आवंटन)	4
1.5	नए मंत्रालय की स्थापना	5-10
2	**भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका**	
2.1	भारत में सहकारी आंदोलन का विकास	11
2.1.1	स्वतंत्रता पूर्व युग में सहकारी समितियों का विकास	11-12
2.1.2	स्वतंत्रता पश्चात् युग में सहकारी समितियों का विकास	13-18
2.2	भारत में सहकारी क्षेत्र की संरचना	18
2.2.1	ऋण सहकारी समितियाँ	18-20
2.2.2	गैर-ऋण सहकारी समितियाँ	20
2.3	भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की महत्ता	20-22
3	**सहकारी समितियों का सशक्तिकरण: रणनीति एवं पहलें**	
3.1	**पैक्स का सशक्तिकरण**	24
3.1.1	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कम्पुटरीकरण	24
3.1.2	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए आदर्श उपविधियां	25-26
3.1.3	कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स	26-27
3.1.4	कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधीन किसान उत्पादक संघ (FPO) योजना के तहत पैक्स	27
3.1.5	विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना	27-28
3.1.6	सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का अभिसरण	28-29
3.2	**भारत में सहकारी आंदोलन का विस्तार करना**	
3.2.1	नई राष्ट्रीय सहकारी नीति	29-30

3.2.2	प्रत्येक पंचायत में बहुउद्देशीय पैक्स, प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियाँ स्थापित करना	31-32
3.2.3	नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों की स्थापना	32-33
3.2.3.1	राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड	33
3.2.3.2	भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड	34
3.2.3.3	राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड	35-36
3.2.4	सहकारी समितियों की जेम (GeM) पर ऑनबोर्डिंग	36
3.3	**राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस**	36-37
3.4	**राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय**	38
3.5	**बजट और योजनाएँ**	38-40
3.5.3.1	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना (CSISAC)	40-41
3.5.3.2	पैक्स का कम्प्यूटरीकरण	41
4	**मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय**	
4.1	सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (CRCS)	42
4.1.1	केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के कार्य	42
4.1.2	बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 तथा उसका प्रशासन	43
4.1.3	बहु राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक 2022	43
4.1.4	केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्युटरीकरण	44
4.1.5	केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के प्रशासन का सशक्तिकरण	45
4.1.6	केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के लिए नया कार्यालय भवन	45
4.2	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)	45-50
4.3	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT)	51-52
4.4	वैकुंठ मेहता राष्ट्रिय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM)	53-57
5	**राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां/ परिसंघ**	**58-80**
6	**सहकारी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य**	**81-88**
7	**प्रमुख घटनाक्रम**	**89-101**
अनुबंध		
I	संगठनात्मक ढांचा	104
II	बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में शामिल राष्ट्रीय सहकारी समितियों / परिसंघों की सूची	105

III	बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों का राज्यवार वितरण	106-108
IV	पैक्स,डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की राज्यवार सूची	109
V	वर्ष 2022-23 के लिए बजट आबंटन और व्यय	110

अध्याय-1

सहकारिता मंत्रालय का परिचय

"Individual liberty and inter-dependence are both essential for life in society. Only a Robinson Crusoe can afford to be all self-sufficient. When a man has done all he can for the satisfaction of his essential requirements he will seek the co-operation of his neighbours for the rest. That will be true co-operation."

महात्मा गांधी

1.1 अवलोकन

सहकारी समितियों को सार्वभौमिक रूप से सामाजिक और आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है जिनमें गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और रोजगार सृजन की समस्याओं का समाधान निहित होता है । इनमें जमीनी स्तर पर सामान और सेवाएं पहुंचाने की अपार क्षमता है। सहकारी समितियां पूंजी केंद्रित संगठन होने के बजाए जन-केंद्रित संगठन होती हैं और वे (सामूहिक प्रयासों के माध्यम से) एकजुटता, सामूदायिक व्यवसाय की समझ और सामाजिक सामंजस्य बढ़ाती हैं।

प्रधानमंत्री 24 फरवरी, 2023 को 'कृषि और सहकारिता' पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए

सहकारी क्षेत्र अपने सदस्य संचालित समावेशी दृष्टिकोण के साथ देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना, निविष्ट सेवाएं, सिंचाई, विपणन, प्रसंस्करण और सामुदायिक भंडार, इत्यादि और मुर्गीपालन, मात्स्यिकी, बागवानी, डेयरी, कपड़ा, उपभोक्ता, आवासन, स्वास्थ्य आदि जैसे अन्य कार्यकलापों के लिए भी समयबद्ध, पर्याप्त और डोर-स्टेप सहयोग सुनिश्चित करने की अपेक्षित क्षमता है ।

भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं जिनमें से लगभग 1.77 लाख (20%) ऋण सहकारी समितियां हैं और शेष विभिन्न कार्यकलाप जैसे उत्पादक, प्रसंस्करण, उपभोक्ता, औद्योगिक, विपणन, पर्यटन, अस्पताल, आवासन, परिवहन, श्रम, कृषि, सेवा, पशुधन, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, इत्यादि कार्यकालाप करने वाली गैर- ऋण सहकारी समितियां हैं ।

इन सामुदायिक स्वामित्व वाली और सदस्य चालित आर्थिक इकाइयों की विशाल अप्रयुक्त संभावनाएं मौजूद हैं । देश में सहकारिता आंदोलन सुनिश्चित करने और उसे गति प्रदान करने में क्षेत्रक सहकारी समितियों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का भी यथोचित समाधान करने की आवश्यकता है । देश में *'सहकार से समृद्धि'* की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनपर हस्तक्षेत्र करने की आवश्यकता है:

क) सहकारी आंदोलन में क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय और क्षेत्रक असंतुलन
ख) विनियामक जटिलताएं
ग) शासन, नेतृत्व और प्रचालनात्मक मुद्दे
घ) सहकारी इकाइयों में पेशेवर प्रबंधन की कमी
ङ) time-tested संरचनात्मक सुधार उपायों की आवश्यकता
च) सहकारी समितियों के बीच सहयोग की कमी

1.2 सहकारिता मंत्रालय का गठन

सहकारिता का विषय पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन तत्कालीन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रशासित हो रहा था । *'सहकार से समृद्धि'* के मंत्र को साकार करने के लिए संघ सरकार के एक ऐतिहासिक कदम से मंत्रीमंडलीय सचिवालय के राजपत्र अधिसूचना सं. 2516 दिनांक 6 जुलाई, 2021 के माध्यम से एक पृथक 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया गया ।

मंत्रालय का नेतृत्व श्री अमित शाह, माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा किया जा रहा है और श्री बी.एल. वर्मा, माननीय सहकारिता राज्यमंत्री द्वारा उनकी सहायता की जा रही है । सचिव (सहकारिता) मंत्रालय के प्रशासनिक प्रधान हैं जिन्हें एक अपर सचिव, एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दो संयुक्त सचिव और सहकारी समितियों के एक केन्द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) द्वारा सहायता दी जा रही है।

श्री अमित शाह ,माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए

मंत्रालय की स्वीकृत कार्यबल की संख्या 197 पदों की है जिसमें से 126 पद मंत्रालय के हैं और 71 पद सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के कार्यलय के हैं । मंत्रालय 65 नियमित स्टाफ से कार्य कर रहा है जो स्वीकृत कार्यबल का लगभग 33% है । इसके अलावा भारतीय आर्थिक सेवा के दो अधिकारी और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के दो अधिकारी भी मंत्रालय में विशेष कार्य के लिए कार्यरत हैं । संगठनात्मक संरचना ***अनुबंध-I*** पर संलग्न है ।

1.3 मंत्रालय का विज़न और मिशन

विज़न

"सहकार से समृद्धि"

मिशन

"देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए एक पृथक प्रशासनिक, विधिक और नीति संरचना प्रदान करना है । इसका लक्ष्य एक वास्तविक जन-आधारित आंदोलन के रूप में सहकारी समितियों की पहुंच को जमीनी स्तर तक करना और सहकार आधारित आर्थिक मॉडल का विकास करना है जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना से कार्य करते हों"

दिनांक 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन

1.4 मंत्रालय के अधिदेश (कार्य-आवंटन):

भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश निम्नलिखित हैं:

- सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारी कार्यकलापों का समन्वय ।

नोट: - क्षेत्र में सहकारी समितियों की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों की है ।

- "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करना ।
- देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करना और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करना ।
- सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन जिसमें देश के विकास के लिए इसके सदस्यों की जिम्मेदारी की भावना शामिल है ।
- सहकारी समितियों को अपनी क्षमता की प्राप्ति में मददगार यथोचित नीति, विधिक और संस्थागत संरचना का निर्माण करना ।
- राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले ।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ।
- 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' का प्रशासन सहित ऐसी सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित नहीं हैं उनका निगमन, विनियमन और परिसमापन:

  परंतु यह कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजन से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग, अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए 'केन्द्रीय सरकार' होगा ।
- सहकारी विभागों और सहकारी संस्थानों के कर्मियों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-कार्मिकों सहित) ।

सात सहकारी सिद्धांत

वर्ष 1995 में इंटरनैशनल कोऑपरेटिव अलायंस (ICA) ने सहकारी पहचान पर संशोधित विवरण अपनाया जिसमें सहकारिता, सहकारी समिति के मूल्यों और सात सहकारी सिद्धांतों की परिभाषा दी गई है । इन सिद्धांतों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है:

1. खुल और स्वैच्छिक सदस्यता
2. लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण
3. सदस्यों की आर्थिक प्रतिभागिता
4. स्वायत्तता व स्वतंत्रता
5. शिक्षा, प्रशिक्षण व सूचना
6. सहकारी समितियों के बीच सहयोग
7. समुदाय हेतु सरोकार

1.5 नए मंत्रालय की स्थापना

सहकारिता मंत्रालय ने कृषि भवन और जनपथ भवन में उसे आवंटित बहुत ही सीमित कार्यालय के स्थान पर से कुछ ही अधिकारियों के साथ कार्य करना आरंभ किया । 20 महीने की अल्पावधि में ही यह मंत्रालय स्थापित हो गया है । जुलाई, 2022 में मंत्रालय और साथ में सीआरसीएस का कार्यालय लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित “अटल अक्षय ऊर्जा भवन” में स्थानांतरित हुआ । अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने कई उपाए किए हैं ।

- माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के पर्यवेक्षणाधीन मंत्रालीय की सुनियोजित स्थापना ।
- 20 महीनों में लगभग 24 नई पहलें की गईं ।
- 28 विस्तृत कार्य योजनाएं बनाई गईं ।
- अपर सचिव/संयुक्त सचिव के नेतृत्व में निदेशक/उप-सचिव के स्तर पर 11 टीम का गठन किया गया ।
- 2 विधेयक, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के लिए 1 आदर्श उपविधियां और नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों के लिए उपविधियों का निर्माण किया गया ।
- 8 कैबिनेट नोट और 4 EFC/ DIB/ CEE/ CEF नोट बनाए गए ।
- लाइन मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न बैठकें की गईं ।
- सचिव, सहकारिता की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ।

दिनांक 8-9 सितंबर 2022, को नई दिल्ली में राज्य सहकारी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

"सहकार से समृद्धि" के लिए 24 नई पहलें

1. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण**: 2,516 करोड़ रुपए की परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइस रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है ।

2. **पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां**: आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार अपनाने के लिए दिनांक 05.01.2023 को परिचालित किया गया जिससे पैक्स 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों के निर्माण, एलपीजी/पेट्रोल/हरित उर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी), इत्यादि करने में सक्षम हो सकेंगे ।

3. **कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में पैक्स (CSC):** पैक्स की व्यवहार्यता बढ़ाने, ग्रामीण स्तर पर ई-सेवाएं प्रदान करने और रोजगार सृजित करने हेतु पैक्स को कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी-ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लि. के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ ।

4. **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस**: हितधारकों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में मदद के लिए देश की सहकारी समितियों का एक प्रमाणिक और अद्यतित डेटा भंडार तैयार किया जा रहा है ।

5. **राष्ट्रीय सहकारी नीति**: 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक सक्षम परितंत्र के निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी नीति के निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया जिसमें देशभर से विशेषज्ञों और हितधारकों को शामिल किया गया है ।

6. **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2002 का संशोधन**: केन्द्रीय प्रशासित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में सतानवे संविधान संशोधन के उपबंधों को अंत:स्थापित करने, शासन सुदृढ़, पारदर्शिता वृद्धि, जिम्मदारी वृद्धि करने और निर्वाचन प्रक्रिया सुधार करने के लिए संसद में विधेयक पुर:स्थापित किया गया ।

7. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)**: विभिन्न क्षेत्रकों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं सहायक समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मात्स्यिकी के लिए 'नील सहकार' आरंभ की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 34,221 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता संवितरित की गई।

8. **क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान:** ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में वृद्धि के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में गैर-अनुसूचित शकारी सहकारी विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) के रूप में अधिसूचित किया गया।

9. **जेम पोर्टल पर 'क्रेता' के रूप में सहकारी समितियां**: सहकारी समितियों को जेम पोर्टल पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई जिससे वे अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 40 लाख विक्रेताओं से वस्तुओं व सेवाओं की किफायत खरीद कर सकेंगे।

10. **सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती**: 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12 % से घटाकर 7% कर दिया गया है।

11. **न्यूनतम वैकल्पिक कर में कटौती**: सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

12. **आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अधीन राहत**: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अधीन सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में आ रही कठिनाइयों के समाधान के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

13. **नई सहकारी समितियों की कर दर को कम करना**: आम बजट 2023-24 में, 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण आरंभ करने वाली सहकारी समितियों को अधिभार सहित 30% की मौजूदा कर की दर को कम करके 15% का सपाट दर करने की घोषणा की गई है।

14. **पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा में वृद्धि**: आम बजट 2023-24 में, पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा को प्रति सदस्य 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने घोषणा की गई है।

15. **स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा में वृद्धि:** आम बजट 2023-24 में, सहकारी समितियों द्वारा स्रोत पर कर कटौती किए बिना नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने घोषणा की गई है।

16. **सहकारी चीनी मिलों को राहत**: सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्यों का भुगतान करने के लिए उचित और लाभकारी या राज्य सलाह मूल्यों तक कोई अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा।

17. **सहकारी चीनी मिलों की पुरानी लम्बित मुद्दों का समाधान**: आम बजट 2023-24 में सहकारी चीनी मिलों को आकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति की घोषणा की गई है जिससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का राहत मिलेगा।

18. **भारतीय बीज सहकारी समिति लि.:** एकल ब्रैंड के अंतर्गत उन्नत बीज की खेती, उत्पादन व वितरण के लिए एक अंब्रेला संगठन के रूप में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की गई है।

19. **राष्ट्रीय बहुराज्य ऑर्गैनिक समिति:** प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए एक अंब्रेला संगठन के रूप में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी ऑर्गैनिक समिति की स्थापना की गई है।.

20. **राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति:** सहकारी क्षेत्र से निर्यातों को गति देने के लिए एक अंब्रेला संगठन के रूप में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना की गई है।

21. **प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना:** सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करने के लिए मौजूदा विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा अगले पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांवों को कवर करने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स या डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की एक योजना को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

22. **सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना**: 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' के अधीन भारत सरकार की मौजूदा छह योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण अवसंरचना के निर्माण की योजना बनायी गई है ।

23. **राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय**: सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श तथा अनुसंधान और विकास के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की योजना बनायी जा रही है ।

24. **किसान उत्पादक संगठन (FPOs) के रूप में पैक्स**: मौजूदा पैक्स को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना के अधीन किसान उत्पादक संगठन खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा ।

1.5.1 सतर्कता मामले

निगरानी तथा निवारक एवं दंडात्मक उपायों के माध्यम से पारदर्शी, उत्तरदायी और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में अपर सचिव के अधीन, जिन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, सतर्कता इकाई स्थापित की गई है ।

1.5.2 शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय में एक जन-शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है । प्रत्येक प्रभाग में संबंधित विषयों के मामलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए उप-सचिव स्तर के अधिकारियों को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । मंत्रालय के सृजन से 37,000 से भी अधिक जन-शिकायतें और 15,000 अपील प्राप्त हुए हैं जिन्हें 15 दिनों के भीतर पूरी तरह से निष्पादित कर दिया गया है ।

सारणी 1.1: CPGRAM पोर्टल के अनुसार वर्ष 2022-2023 (01/04/2022 से 31/03/2023 तक) के लिए शिकायतों के निपटान की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	CPGRAMS स्रोत	प्राप्त	निष्पादित	निष्पादन का प्रतिशत
1.	स्थानीय/इंटरनेट	32723	32450	99.16
2.	पीएमओ	5782	5723	98.97
3.	DARPG	617	617	100.00
4.	राष्ट्रपति सचिवालय	524	521	99.42
5.	पेंशन	11	11	100.00
6.	कुल	39657	39322	99.15

नोट: i) शिकायतों/परिवादों के त्वरित निष्पादन में सहकारिता मंत्रालय ने सभी मंत्रालय के बीच प्रथम स्थान हासिल किया है।
ii.) मंत्रालय को प्रत्येक महीने लगभग 2,000 शिकायतें और 800 अपील प्राप्त होती हैं ।

1.5.3 आरटीआई मामले

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन: मंत्रालय के सृजन के बाद सूचना मांगने के लिए 1249 आरटीआई आवेदन और उससे संबंधित 234 अपीलें प्राप्त हुई हैं । सभी आवेदनों व अपीलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादित किया गया । प्रभाग-वार केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (CPIOs) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (FAAs) निर्दिष्ट किए गए हैं । मंत्रालय के संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना प्राधिकारियों और उनके अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

1.5.4 राजभाषा

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग: मंत्रालय में राजभाषा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है । मंत्रालय के अधिकांश कार्य हिन्दी में किए जा रहे हैं । मंत्रालय में सितम्बर, 2022 को हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें दों प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ।

1.5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में मंत्रालय में "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया गया है जिससे महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को सशक्त और उनकी समस्याओं को समबद्ध समाधान हो सके । मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी ऐसी ही समितियों का गठन किया गया है ।

1.5.6 मंत्रालय में आईटी अवसंरचना की स्थापना

i. सहकारिता मंत्रालय की नई वेबसाइट https://cooperation.gov.in का निर्माण व उसे कार्यशील बनाना।

ii. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के लिए नए पोर्टल https://cooperatives.gov.in का निर्माण।

iii. मंत्रालय के लिए NICNET पर 150 NODE स्थापित करना और सभी NODE पर एंटीवायरस एप्लिकेशन लोड करना।

iv. https://cooperation.eoffice.gov.in पर नई ई-ऑफिस का कार्यान्वयन और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ पूर्व की संयुक्त सिस्टम से डाटा का माइग्रेशन।

v. मंत्रालय में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया।

vi. मंत्रालय में कागज-रहित प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग की स्थापना और उसे ई-ऑफिस के साथ एकीकृत करना तथा मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।

vii. http://moc.attendance.gov.in पोर्टल में बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम कार्यान्वित करना।

viii. मंत्रालय के कर्मियों को साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के प्रति जागरुक करना।

ix. मेघराज (क्लाउड) पर मंत्रालय के पोर्टलों के लिए DR साइट्स की स्थापित करना।

अध्याय-2

भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका

"Solution to many of India's difficulties in self-reliance. Co-operative is a great model of self-reliance "

श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

2.1 भारत में सहकारी आंदोलन का विकास

किसी कानून द्वारा औपचारिक सहकारी संरचनाओं के अस्तित्व में आने के पहले से ही भारत के कई हिस्सों में सहकार और सहकारी कार्यकलापों के अवधारणा की प्रथा प्रचलित थी । ग्राम समुदाय सामूहिक रूप से गाँव के तालाबों या गाँव के जंगलों जैसी स्थायी परिसंपत्तियाँ का निर्माण कर थे और अगली फसल से पहले समूह के जरूरतमंद सदस्यों को उधार देने के लिए फसल के बाद खाद्यान्न जैसे संसाधनों को एकत्रित कर रहे थे, या समूह के सदस्यों को नियमित अंतराल पर उधार देने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए छोटे-मोटे अंशदान कर रहे थे ।

कृषि बैंकों का प्रस्ताव पहली बार सन् 1858 में और पुन: सन् 1881 में अहमदनगर के जिला न्यायाधीश श्री विलियम वेडरबर्न द्वारा न्यायमूर्ति एम.जी. रानाडे के परामर्श से रखा था जिसे स्वीकार नहीं किया गया था । मार्च 1892 में मद्रास खण्ड के गवर्नर द्वारा श्री फ्रेडरिक निकोलसन को इस खण्ड में कृषि या अन्य भूमि बैंकों की एक प्रणाली शुरू करने की संभावना की जांच करने का काम सौंपा गया था । उन्होंने सन् 1895 और सन् 1897 में दो खंडों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । वर्ष 1901 में, अकाल आयोग ने पारस्परिक ऋण संघों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण कृषि बैंकों की स्थापना की सिफारिश की और कृषि बैंकों के अंतर्निहित सिद्धांतों का भी सुझाव दिया

2.1.1 स्वतंत्रता पूर्व युग में सहकारी समितियों का विकास

एडवर्ड लॉ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, सहकारी ऋण समितियों तक सीमित सहकारी ऋण समिति अधिनियम 25 मार्च, 1904 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत, 1911 तक तीन लाख से अधिक की सदस्यता वाली 5,300 समितियां थीं।

1912 का सहकारी सोसाइटी अधिनियम सहकारी समितियों में संघों के प्रावधानों के साथ गैर-ऋण सहकारी समितियों के उपबंधों के लिए अधिनियमित किया गया था । इस अधिनियम के साथ, ऋण क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों ने प्राथमिक सहकारी समितियों और व्यक्तियों को अपने सदस्य के रूप में शामिल कर स्वयं को केंद्रीय सहकारी बैंकों में परिवर्तित कर लिया । पहली सहकारी आवासन

समिति, मद्रास सहकारी संघ वर्ष 1914 में, बॉम्बे सेंट्रल सहकारी संस्थान वर्ष 1918 में और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब आदि में इसी तरह की संस्थाएँ अस्तित्व में आईं । 1914 में एडवर्ड मैकलेगन समिति ने अल्पकालिक और मध्यम अवधि के वित्त प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक मजबूत त्रि-स्तरीय संरचना के निर्माण की सिफारिश की जिसमें सबसे निचले स्पर पर प्राथमिक, मध्य-स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और शीर्षस्थ स्तर पर प्रांतीय सहकारी बैंक थे ।

वर्ष 1919 में सुधार अधिनियम के पारित होने के साथ, सहकारिता को एक विषय के रूप में प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया गया । पहला प्रांतीय अधिनियम, अर्थात बॉम्बे सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो वर्ष 1925 में पारित हुआ था में अन्य बातों के साथ-साथ एक व्यक्ति- एक वोट का सिद्धांत पेश किया गया । वर्ष 1928 में कृषि क्षेत्र के लिए रॉयल कमीशन ने लैंड मोर्टगेज बैंकों की स्थापना की सिफारिश की । उस समय का एक और प्रमुख घटना वर्ष 1929 में अखिल भारतीय सहकारी संस्थानों के संघ की स्थापना थी । वर्ष 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कृषि ऋण को गति देने का एक महत्वपूर्ण कदम था ।

वर्ष 1937 में मेहता समिति ने सहकारी ऋण समितियों को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के रूप में पुनर्गठित करने की सिफारिश की । वर्ष 1939-1945 की अवधि के दौरान, कई समितियों ने बैंकिंग कार्य शुरू कर दिए थे और समय के साथ इनके आकार और संचालन में वृद्धि सहित इनके कार्यकलापों मे भी काफी विविधता आई ।

एक से अधिक राज्यों से आने वाल सदस्यों की सदस्यता वाली सहकारी समितियों के उद्भव के साथ, ऐसी बहु-इकाई या बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक सक्षम सहकारी कानून की आवश्यकता महसूस की गई । वर्ष 1942 में बहु-इकाई सहकारी सोसाइटी अधिनियम पारित किया गया, जिसने सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक की शक्ति राज्य पंजीयकों को प्रत्यायोजित की। वर्ष 1945 में श्री आर.जी. सरैया की अध्यक्षता में सहकारी योजना समिति पाया कि आर्थिक योजना के लोकतंत्रीकरण के लिए सहकारी समितियाँ सबसे उपयुक्त माध्यम थीं ।

श्री त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में दिनांक 14 दिसंबर, 1946 को इतिहास रचा गया जब खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ जिसे आमतौर पर अमूल के नाम से जाना जाता है, को बॉम्बे सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1925 के अधीन पंजीकृत किया गया था । श्री वैकुंठ भाई मेहता ने बॉम्बे सरकार के प्रभारी सहकारिता मंत्री के रूप में पदभार संभाला, जिसके बाद प्रांत में सहकारी आंदोलन को गति मिली । सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण पर जनार्दन मदन समिति ने सहकारी शिक्षा कार्यक्रमों और शिक्षा कोष की स्थापना की सिफारिशें कीं ।

2.1.2 स्वतंत्रता पश्चात् युग में सहकारी समितियों का विकास

वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सहकारी विकास को गति मिली, जिसमें योजना आयोग द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई ।

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) ने भारत में सहकारी आंदोलन के विज़न और आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिए बेहतर संगठनों के रूप में सहकारी समितियों और पंचायतों पर जोर देने के औचित्य को रेखांकित किया । वर्ष 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण ऋण की एक एकीकृत प्रणाली शुरू करने, सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में सरकार की भागीदारी और उनके बोर्ड में सरकारी नामांकित व्यक्तियों की नियुक्ति की सिफारिश की और इस प्रकार उनके प्रबंधन में भाग लिया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961) ने इस बात पर जोर दिया गया कि "योजनाबद्ध विकास के एक हिस्से के रूप में सहकारी क्षेत्र का निर्माण" राष्ट्रीय नीति के केंद्रीय उद्देश्यों में से एक था । इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास कोष की भी स्थापना की गई, ताकि राज्यों को देश की गैर-क्रेडिट सहकारी संस्थानों की शेयर पूंजी के अभिदान के उद्देश्य से ऋण लेने में सक्षम बनाया जा सके। सहकारी कानून पर श्री एस.टी. राजा समिति ने वर्ष 1956 में राज्य सरकारों के विचारार्थ एक आदर्श विधेयक की सिफारिश की गई । कई राज्य सरकारों ने आदर्श विधेयक के अनुरूप अपने अधिनियमों में संशोधन किया । वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद संकल्प इस समय का एक और महत्वपूर्ण विकास था । द्वितीय योजना में कृषि उपज का सहकारी विपणन और प्रसंस्करण, सहकारी विकास की एकीकृत योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था । लगभग 1900 प्राथमिक विपणन समितियाँ स्थापित की गईं और सभी राज्यों में राज्य विपणन संघ स्थापित किए गए और केंद्र में राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई । कृषि सहकारी समितियों के साथ-साथ विपणन सहकारी समितियों ने किसानों को ऋण और निविष्टि प्रदान करने के साथ-साथ उनके बढ़े हुए उत्पादन को संसाधित करके हरित क्रांति को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-1969) ने इस बात पर बल दिया कि "सहकार, आर्थिक जीवन की शाखाओं, विशेष कर कृषि, लघु सिंचाई, लघु उद्योग और प्रसंस्करण, विपणन, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवासन और निर्माण और स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान में संगठन का प्रमुख आधार बनना चाहिए । यहां तक कि मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों और परिवहन में भी सहकारी तर्ज पर गतिविधियों की बढ़ती श्रृंखला शुरू की जा सकती है ।"

साठ के दशक के मध्य से, कृषि प्रसंस्करण सहकारी समितियों, विशेष रूप से चीनी और कताई क्षेत्र में संख्या और योगदान में वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से सहकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण सहायता प्रदान करने की सरकार की नीति द्वारा मुख्य रूप से प्रेरित थी । दुग्ध में सहकारी समितियों के आनंद पैटर्न को दोहराने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत भारतीय डेयरी निगम (अब राष्ट्रिय डेयरी विकास बोर्ड) की स्थापना से भारतीय डेयरी सहकारी आंदोलन को गति मिली । वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद, उपभोक्ता सहकारी संरचना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), दोनों को मजबूत किया गया । शहरी सहकारी ऋण समितियों में सार्वजनिक जमा की वृद्धि के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक की जमा बीमा योजना के अंतर्गत इनका बीमा करने की आवश्यकता महसूस की गई ।

1960 के दशक में अस्तित्व में आयी कुछ राष्ट्रीय संस्थान

- केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 1962 में कृषि पुनर्वित्तीयन निगम की स्थापना की गई ।
- वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया गया ।
- विभिन्न राष्ट्रीय सहकारी संघों की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) का पुनर्गठन किया गया ।
- वर्ष 1967 में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM) की स्थापना पुणे में की गई ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974) में सहकारी अल्पकालिक और मध्यमकालिक संरचना को व्यवहार्य बनाने के लिए सहकारी समितियों के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी गई । वर्ष 1965 में मिर्धा समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में सहकारी कानून में संशोधन हुए ।

पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-1979) में अतिदेय के उच्च स्तर पर ध्यान दिया गया । सहकारी विकास के लिए इसकी अनुशंसित रणनीति में क्षेत्रीय असंतुलन में सुधार करने और सहकारी समितियों को वंचितों की ओर पुनःउन्मुख करने के लिए इसकी संरचनात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया । योजना में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा परिकल्पित किसान सेवा सहकारी समितियों के गठन की सिफारिश की गई और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना (1979-1985) में ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में अधिक व्यवस्थित रूप से निर्देशित किए जाने वाले सहकारी प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया गया ।

योजना ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को सशक्त और व्यवहार्य बहुउद्देश्यीय इकाइयों में पुनर्गठित करने के लिए कदमों की सिफारिश की । इसने उपभोक्ता और विपणन सहकारी समितियों के बीच लिंकेज को सुदृढ़ करने का भी सुझाव दिया ।

नाबार्ड अधिनियम, 1981

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम को वर्ष 1981 में पारित किया गया और नाबार्ड की स्थापना सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तीयन सहायता प्रदान करने और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों की पूर्ति करने के लिए की गई थी ।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984

बहुराज्य सहकारी समितियों के सुचारू कार्यकरण को सुकर बनाने और उनके प्रशासन व प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून लाने के उद्देश्य से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को अधिनियमित किया गया । वर्ष 1942 की बहु-इकाई सहकारी सोसाइटी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया ।

सातवी पंचवर्षीय योजना (1985-1990) में अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहु-व्यवहार्य इकाइयों के रूप में विकसित करने; ऋण के प्रवाह का विस्तार करने और विशेष रूप से दुर्बल वर्गों के लिए इनपुट और सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का पुनर्गठन करने; पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम; शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई ।

सरकार ने वर्ष 1985 में सहकारी समितियों में प्रबंधन के लोकतंत्रीकरण और पेशेवरता के लिए सहकारी कानून पर एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता श्री के.एन. अर्धनारीश्वरन ने की । इसी प्रकार, वर्ष 1989 में प्रोफेसर ए.एम. खुसरो की अध्यक्षता में कृषि ऋण समीक्षा समिति का गठन किया गया जिसने कृषि और ग्रामीण ऋण की समस्याओं की जांच की और प्रमुख प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश की ।

मॉडल सहकारी अधिनियम, 1990

वर्ष 1990 में सहकारी आंदोलन की व्यापक स्थिति की तीव्र समीक्षा करने, भावी दिशानिर्देश सुझाने और एक आदर्श सहकारी अधिनियम को अंतिम रूप देने के लिए योजना आयोग द्वारा चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई । समिति ने वर्ष 1991 में अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत की । समिति की रिपोर्ट के साथ एक प्रारूप आदर्श सहकारी कानून सभी राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ और राज्य स्तर पर अपनाने के लिए परिचालित की गई ।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ राज्य, जो मौजूदा राज्य सहकारी अधिनियमों को मॉडल सहकारी अधिनियम की तर्ज पर संशोधित करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, ने आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के लिए समानांतर सहकारी कानून बनाया । दस राज्य, यथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (1995), मध्य प्रदेश (1999), बिहार (1996), जम्मू-कश्मीर (1999), उड़ीसा (2001), कर्नाटक (1997) झारखंड (1996)), छत्तीसगढ़ (1999) और उत्तराखंड (2003), ने समानांतर सहकारी अधिनियम बनाए । आत्मनिर्भर सहकारी समितियों को आम तौर पर उन सहकारी समितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें इक्विटी योगदान, ऋण और गारंटी के रूप में सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है ।

वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और उसके बाद से सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकृत आर्थिक नीतियों के कारण विभिन्न सरकारों, राज्य और केंद्रीय, पर बदलाव लाने का दबाव बढ़ गया, जिससे सहकारी समितियों को निजी सेक्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक समान अवसर मिल सके । आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) के बाद से, सहकारी आंदोलन को अधिक स्वायत्तता देकर और आंदोलन को लोकतांत्रिक बनाकर एक स्व-प्रबंधित, स्व-विनियमित और आत्मनिर्भर संस्थागत संस्थापन बनाने पर जोर दिया गया ।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002

वर्ष 1984 में अधिनियमित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम को वर्ष 2002 में निरस्त कर उसके स्थान पर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 लाया गया ।

राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2002

वर्ष 2002 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की । नीति का उद्देश्य देश में सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को स्वीकार करना था । यह नीति सहकारी समितियों को स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थानों के रूप में कार्य करने, अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने का वादा करती है ।

सहकारिता राज्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 2002 में राष्ट्रीय सहकारी नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए एक मंत्री

स्तर के कार्य बल का गठन किया गया। इस कार्यबल ने सुझाव दिया कि राज्यों में समानांतर कानूनों के बजाय एक ही कानून लागू किया जाना चाहिए ।

एनसीडीसी संशोधन अधिनियम, 2002

ऋण देने के दायरे में सुधार करने और इसके वित्त पोषण में बदलाव लाने की आवश्यकता को पहचानते हुए, एनसीडीसी अधिनियम का वर्ष 2002 में संशोधन किया गया, जिसने इसे अधिसूचित सेवाओं, पशुधन और औद्योगिक कार्यकलापों को कवर करने और अधिक महत्वपूर्ण रूप से उपयुक्त सुरक्षा के विरुद्ध सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष वित्त पोषित करने में सक्षम बनाया ।

सहकारी क्रेडिट संस्थानों के पुनरुद्धार पर कार्य बल

ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली को फिर से व्यवस्थित करने , ग्रामीण ऋण को तीन वर्षों में दोगुना सुनिश्चित करने और संस्थागत ऋण द्वारा लघु और सीमांत किसानों के कवरेज को वस्तुतः विस्तार करने के लिए, भारत सरकार ने अगस्त, 2004 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों को पुनःसक्रिय करने के लिए एक कार्य योजना और इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपायों का सुझाव देने के लिए प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन के नेतृत्व में एक कार्यबल का गठन किया। इसके संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्यबल की सिफारिशें मूल रूप से क्रेडिट सहकारी समितियों के पुनरुद्धार तक ही सीमित थीं, जिसके लिए इसने एक वित्तीय पैकेज का सुझाव दिया था । वैद्यनाथन समिति ने एक आदर्श सहकारी कानून का भी सुझाव दिया जिसे राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है । वैद्यनाथन समिति ने दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना पर भी अपनी रिपोर्ट दी।

संविधान (सत्तानवां संशोधन) अधिनियम, 2011: संविधान (सत्तानवें संशोधन) अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया और निम्नलिखित प्रावधान किए, अर्थात्:

(i) संविधान के भाग III में अनुच्छेद 19(1)(सी) में "सहकारी समितियाँ" शब्द अंत:स्थापित करके सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया ।

(ii) सहकारी समितियों के संवर्धन के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अनुच्छेद 43बी को संविधान के भाग IV में अंत:स्थापित किया गया ।

(iii) सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के उपबंधों के लिए भाग IX बी 'सहकारी समितियां' अंत:स्थापित किया गया ।

संविधान (सत्तानवां संशोधन) अधिनियम, 2011 दिनांक 15.02.2012 से प्रवृत्त हुआ । तथापि, गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.04.2013 के अपने आदेश में यह निर्णय दिया कि संविधान (सत्तानवां संशोधन) अधिनियम, 2011 जिसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT वाले भाग- IXख को

जोड़ा गया था, वे भारतीय संविधान के अधिकारातीत (ultra vires) है क्योंकि अधिकांश राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन (ratification) प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 368(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था । यह आदेश संविधान (सत्तानवां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अन्य हिस्सों को प्रभावित नहीं करेगा । तथापि, उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका में दिनांक 20.07.2021 के बहुमत निर्णय से फैसला दिया कि भारतीय संविधान का भाग IXख केवल उसी हद तक कार्यशील है जहां तक उसका संबंध बहुराज्य सहकारी समितियों से है ।

2.2 भारत में सहकारी क्षेत्र की संरचना

भारत में सहकारी प्रणाली को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् ऋण और गैर-ऋण सहकारी समितियाँ । क्रेडिट सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, उपभोग और विपणन के लिए किफायती ब्याज दरों पर ऋण सुनिश्चित करती हैं, उपभोक्ता सहकारी समितियां रियायती दरों पर किसानों की उपभोग मांग को पूरा करती हैं और विपणन समितियां वस्तुओं के लेनदेन में बिचौलियों को खत्म करके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती हैं । सहकारी समितियाँ कृषि और लघु उद्योग विपणन, प्रसंस्करण, वितरण और आपूर्ति से संबंधित कार्यकलापों को भी करती हैं ।

सारणी 2.1: सहकारी क्षेत्र की संरचना

संबंधित प्राधिकारी	विवरण / क्षेत्र	विवरण/क्षेत्र	पैक्स	डेयरी	मात्स्यिकी
सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक	**कुल समितियां (8.5 Lakh)**	95,509	1,99,182	25,297	5,30,000
	कुल सदस्य	13 करोड़	1.5 करोड़	38 लाख	~14 करोड़
	पंचायत/ग्राम स्तर	**पैक्स**	प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितिया	प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियां	प्राथमिक समितियाँ
	जिला/तालुका/ खंड स्तर	जिला सहकारी बैंक (351)	जिला दुग्ध यूनियन (231)	जिला मात्स्यिकी यूनियन (128)	जिला स्तर यूनियन
	राज्य स्तर	राज्य सहकारी बैंक (34)	राज्य दुग्ध यूनियन (21)	राज्य मात्स्यिकी यूनियन (23)	राज्य स्तर यूनियन
केन्द्रीय पंजीयक	**राष्ट्रीय स्तर (1522)**	NAFSCOB	NCDFI	FISHCOPFED	अनुसूची II समितियाँ (18)

स्रोत: भारतीय सहकारी आंदोलन–NCUI स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल, 2018 और केंद्रीय पंजीयक कार्यालय, सहकारिता मंत्रालय

2.2.1 क्रेडिट सहकारी समितियाँ

क्रेडिट सहकारी समितियों में ग्रामीण ऋण वितरण के लिए तीन स्तरीय संरचना है जिसमें ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS), जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (StCB) हैं । शहरी क्षेत्रों को शहरी ऋण सहकारी समितियों और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा सेवा प्रदान की जाती है ।

सहकारी बैंक/ऋण समितियां अंतिम छोर तक ऋण वितरण सुनिश्चित करते हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं । भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) की सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल (2018) के अनुसार भारत में लगभग 1.77 लाख ऋण सहकारी समितियां हैं, जिनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, कर्मचारी थ्रिफ्ट और अन्य ऋण सहकारी समितियां, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैक शामिल हैं ।

यद्यपि, हाल की अवधि में, इस क्षेत्र को अन्य प्रकार की आर्थिक संस्थाओं के साथ समरूपता की कमी, रिज़र्व बैंक और सरकारों के दोहरे विनियमन, धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, आदि से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है । इसके अलावा, कानूनी बाधाएँ कई विवादों के शीघ्र समाधान में बाधा बनती हैं ।

भारत में सहकारी बैंकिंग संरचना को वाणिज्यिक बैंकिंग संरचना के पूरक और अनुपूरक के रूप में विकसित किया गया था, जिसमें सीमांत उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की विकास अपेक्षाओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया था । ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों को अल्पकालिक ऋण बनाम दीर्घकालिक ऋण के आधार पर अलग किया जाता है ।

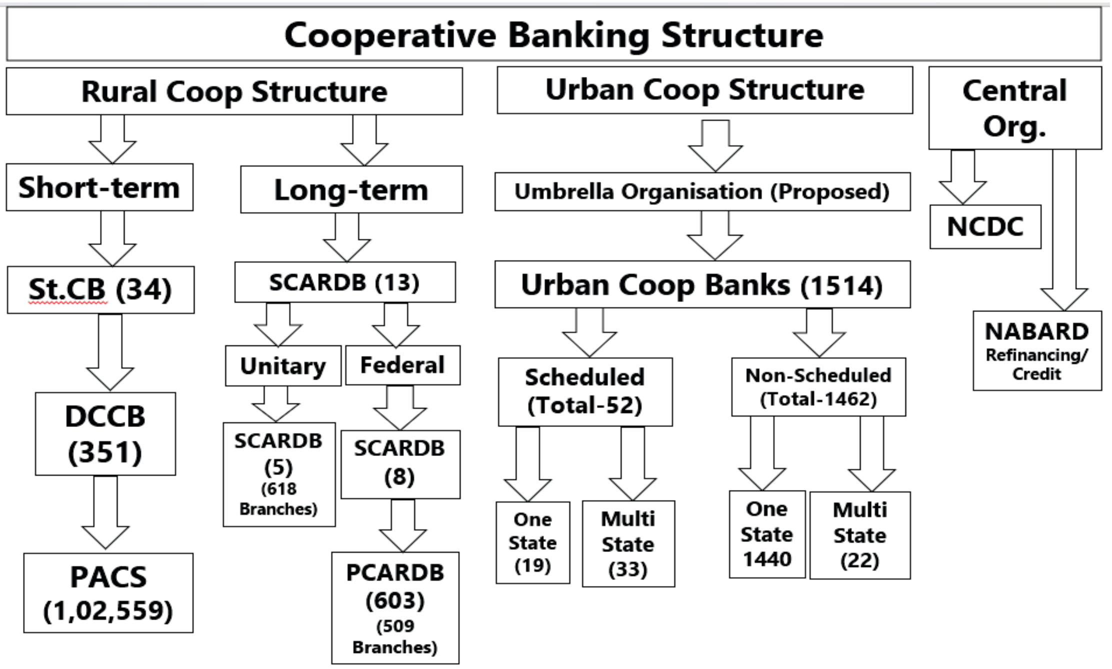

नोट:1. StCBs: राज्य सहकारी बैंक; DCCBs: जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; PACS: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; SCARDBs: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; PCARDBs: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शहारी सहकारी बैंकों सें संबंधित लिए मार्च, 2022 के अंत में और ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए मार्च, 2021 के अंत में संस्थानों की संख्या दर्शाते हैं ।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने या उनकी भौगोलिक पहुंच (एकल-राज्य या बहु-राज्य) के आधार पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है । मार्च, 2022 के अंत में, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में 1,514 शहरी सहकारी बैंक और 1,03,560 ग्रामीण सहकारी समितियाँ शामिल थीं । सहकारी ऋण की कुल मात्रा लगभग 13 लाख करोड़ रुपये है ।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जैसे केंद्रीय सरकार के संगठन भी सहकारी ऋण के प्रवाह में प्रमुख भूमिका निभाते हैं । सहकारिता मंत्रालय, सहकारी बैंकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के समाधान के लिए राष्ट्रीय महासंघों, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है ।

2.2.2 गैर-ऋण सहकारी समितियाँ

गैर-ऋण क्षेत्र में कृषि, मात्स्यिकी, बागवानी, डेयरी, आवासन, जनजातीय, श्रमिक, बुनकर, उपभोक्ता, औद्योगिक, विपणन, प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, परिवहन, बुनियादी सेवाएं, पर्यटन आदि में लगी सहकारी समितियां शामिल हैं ।

NCUI के अधिकारीगण उत्तर प्रदेश की महिला (स्वयं सहायता समूह) सहकारी समिति के सदस्यों को परामर्श देते हुए

2.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की महत्ता

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) की सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल (2018) के अनुसार देश में 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिनमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से 29 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित कार्यकलापों में लगे हुए हैं । सहकारी क्षेत्र ने हमेशा

अपने सदस्य चालित और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के साथ देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । इसमें कृषि और औद्योगिक इनपुट सेवाओं, सिंचाई, विपणन, प्रसंस्करण और सामुदायिक भंडारण इत्यादि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए समय पर, पर्याप्त और डोर-स्टेप कमोडिटी और सेवा सपोर्ट के प्रवाह को बढ़ाने की दिशा में न्यायसंगत और ठोस प्रयास और मुर्गीपालन, मात्स्यिकी, बागवानी, डेयरी, कपड़ा, उपभोक्ता, आवासन, स्वास्थ्य जैसी कुछ अन्य गतिविधियों के लिए भी सुनिश्चित करने की आवश्यक क्षमता है । सहकारी मॉडल हमारे समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को आर्थिक विकास का अग्रणी बना सकता है और व्यापक वित्तीय समृद्धि पैदा कर सकता है ।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, अमूल कॉम्प्लेक्स,आनंद असेंबली हाल का उद्घाटन करते हुए

"वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर" के अनुसार, भारत में कुछ कृषि और डेयरी सहकारी समितियाँ विश्व स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियाँ बनकर उभरी हैं । इफको, आनंद पैटर्न डेयरी मॉडल, महिला केंद्रित लिज्जत गृह उद्योग मॉडल, मुलुकनूर महिला डेयरी सहकारी समिति, सेवा समूह और विभिन्न अन्य सहकारी समितियों और संघों जैसी स्थापित सहकारी मॉडल हैं । सौर और बायो-गैस सहकारी समितियों जैसी कई नवीन सहकारी समितियाँ भी उभरी हैं ।

सारणी 2.3: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का हिस्सेदारी का प्रतिशत

सहकारिता क्षेत्र	प्रतिशत (%)
सहकारी समितियों द्वारा संवितरित **कुल कृषि ऋण** (2016-2017)	13.40
सहकारी समितियों द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को संवितरित **अल्पकालिक कृषि ऋण**	19.13
सहकारी समितियों +क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी **किसान क्रेडिट कार्ड्स** (मार्च, 2017 के अंत तक)	67.30
सहकारी समितियों द्वारा जारी **किसान क्रेडिट कार्ड्स** (मार्च, 2017 के अंत तक)	50.20
अनुमानित **उर्वरक वितरण** (मिलियन टन 2016-2017)	35.00
उर्वरक उत्पादन क्षमता (वर्ष 2016-2017 के लिए 5.35 मिलियन टन)	24.92
उर्वरक उत्पादन (वर्ष 2016-2017 के लिए 51.62 मिलियन टन)	28.80
उर्वरक उत्पादों की क्षमता (वर्ष 2016-2017 के लिए 10.77 मिलियन टन)	20.32
उर्वरक विनिर्माण ईकाइयों की इंस्टॉल्ड क्षमता (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, 3.638 मिलियन टन N Nutrient)	25.60
उर्वरक विनिर्माण ईकाइयों की इंस्टॉल्ड क्षमता (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, 1.713 मिलियन टन P Nutrient)	23.53
चीनी फैक्ट्रियों की इंस्टॉल्ड क्षमता (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 284)	38.63
उत्पादित चीनी (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 5.654 मिलियन टन)	30.60
चीनी मिलों की उपयोगिता क्षमता (31.3.2017 की स्तिथि के अनुसार)	46.14
सहकारी समितियों द्वारा खरीदे गए कुल दूध में से तरल दूध विपणन किया गया	84.17
कुल दूध उत्पादन में से खरीदा गया दूध (2016-17)	9.50
विपणनयोग्य अधिशेष में से खरीद गया दूध (2016-17)	17.50
भंडारण सुविधा वाले पैक्स (ग्रामीण स्तर पर) (2016-17)	55.50
सहकारी क्षेत्र की कुल भंडारण क्षमता (2016-17) 22.77 मिलियन मेट्रिक टन	14.79
सहकारी समितियों में मछुवारे (सक्रिय)	20.05
गेहूं की खरीद (2017-18 के दौरान 4.4 मिलियन टन)	13.30
धान की खरीद (2016-17 के दौरान 7.5 मिलियन टन)	20.40
खुदरा उचित मूल्य की दुकानें (ग्रामीण + शहरी)	20.30
सहकारी समितियों में स्पिंडलेज (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 3. 56)	29.34
सहकारी समितियों द्वारा **सृजित प्रत्यक्ष रोजगार**	13.30
व्यक्तियों के लिए सृजित स्वयं-उत्पादन	10.91

स्रोत: भारतीय सहकारी आंदोलन – NCUI स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल , 2018

अध्याय-3

सहकारी समितियों का सशक्तिकरण: रणनीति एवं पहलें

"Corporates and industries may bring development in the country, but cooperative is the only model that can help in the equitable distribution of profit to 80 crore economically backward people in the country. We have seen this happen; cooperative movements such as Lijjat and Amul are examples of this"

अमित शाह

वर्तमान में, देश में सहकारी आंदोलन का विषम वितरण है क्योंकि सहकारी प्रसार और पहुंच में क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर असंतुलन मौजूद है। कई राज्यों ने अभी तक अपनी स्वयं की सहकारी नीति तैयार नहीं की है। कुछ राज्यों में एक से अधिक सहकारी अधिनियम हैं। देश में सहकारी आंदोलन को सुविधाजनक और सशक्त करने वाले नियामक परिदृश्य को समझने और विकसित करने के लिए ऐसे कई अधिनियमों के दायरे, कवरेज और प्रवर्तन प्रावधानों पर विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समितियों के 100वीं वर्षगाँठ के महोत्सव पर कोऑपरेटर्स को संबोधित करते हुए

3.1 पैक्स का सशक्तिकरण

ग्रामीण स्तर पर सहकारी इकाइयों- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की समीक्षा करने की आवश्यकता थी ताकि खरीद, भंडारण और भांडागार, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक प्रबंधन आदि को मजबूत किया जा सके । कृषि और कृषि-व्यवसाय प्रबंधन को मजबूत करने की दृष्टि से इन समुदाय के नेतृत्व वाली सदस्य-संचालित व्यावसायिक इकाइयों के बेहतर कामकाज के लिए एक व्यावहारिक ढांचे के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य श्रृंखला प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी । इस प्रकार तैयार की गई संरचना में किसानों, किसान सदस्यों और खरीद एजेंसियों जैसे भारतीय खाद्य निगम (FCI), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED), खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, थोक व्यापारियों, गोदाम मालिकों, वर्चुअल और भौतिक खुदरा विक्रेताओं के बीच सहजीवी संबंधों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । यदि सहकारी समितियों को जमीनी स्तर पर ही सशक्त किया जाए तो ये उत्पादन से लेकर प्रापण, भंडारण और गोदाम तक पूरी कृषि-आपूर्ति श्रृंखला में क्रांति लाने में मदद कर सकते हैं ।

किए गए उपाय: मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर पैक्स को सशक्त करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे:

3.1.1 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कम्पुटरीकरण

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को डिजिटलीकृत करने के लिए भारत सरकार ने 29 जून, 2022 को 2516 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय से राज्य भर के 63,000 कार्यशील PACS को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए PACS के कम्प्यूटरीकरण योजना को अनुमोदित किया है । इस परियोजना में सभी कार्यशील पैक्स को ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित एक कॉमन सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है ।

पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे जैसे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि, ऋणों का त्वरित संवितरण, लेनदेन लागत में कमी, भुगतान असंतुलन में कमी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन और पारदर्शिता में वृद्धि सुनिश्चित होगी । इससे किसानों के बीच पैक्स के कामकाज में विश्वसनीयता भी बढ़ेगी । कॉमन अकाउंटिंग प्रणाली (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के कार्यान्वयन से व्यवसाय प्रचालन में एकरूपता आएगी और प्रक्रियाओं का मानकीकरण होगा जिससे पैक्स अपने कार्यों को ऑनलाइन करने और अपने विभिन्न कार्यकलापों के लिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त/ऋण प्राप्त कर सकेंगे ।

3.1.2 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए आदर्श उपविधियां

देश में एक लाख से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) हैं, जो अल्पकालिक सहकारी ऋण (STCC) संरचना के सबसे निचले स्तर पर आते हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पैक्स, सदस्य किसानों को अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे उर्वरक/बीज/कीटनाशक वितरण, भंडारण सुविधाएं इत्यादि।

वर्तमान में, पैक्स संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों द्वारा विनियमित होती हैं। पैक्स के निष्क्रिय/गैर-कार्यशील बनने में कई कारक योगदान दे रहे हैं, जैसे संगठनात्मक कमजोरियां, अकुशल प्रबंधन, ऋण देने के लिए अपर्याप्त संसाधन, इत्यादि। इसके अलावा, अल्पकालिक ऋण से होने वाली आय पैक्स की वित्तीय संवहनीयता के लिए अपर्याप्त पाई गई हैं।

इन मुद्दों के समाधान के लिए, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में, सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय सहकारी संघों, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), आदि सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के पश्चात् पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार की गई। आदर्श उपविधियों के अंतिम रूप को दिनांक 05.01.2023 को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अनुरूप यथोचित संशोधन के पश्चात् उनके द्वारा अपनाने के लिए प्रचालित किया गया था।

ये आदर्श उपविधियां पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम बनाएंगी, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों की खरीद, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हाइरिंग सेंटर, कॉमन सेवा केन्द्र, उचित मूल्य की दुकानें (FPS), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय अभिकर्ता, आदि शामिल हैं।

जिससे पैक्स के शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करेंगे। पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने, महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए भी उपबंध किए गए हैं।

आदर्श उपविधियों को पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के साथ सामंजित किया जाएगा। आदर्श उपविधियों में सूचीबद्ध सभी व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए अलग-अलग मॉड्यूलों को PACS कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में शामिल किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की विविध जरूरतों को पूरा करने

हेतु ये पैक्स को सिंगल विंडो अभिरकण में परिवर्तित कर के उनके शासन में सुधार, व्यवहार्य व्यवसाय प्रचालन और कार्यकरण में कुशलता के लिए एक सक्षम संरचना प्रदान करेगें ।

3.1.3 कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स

देशभर के नागरिकों को कॉमन सेवा केंद्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं पैक्स के माध्यम से प्रदान करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2023 को सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित हुआ ।

देश भर में एक लाख से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) हैं जिनके विशाल सदस्य आधार में 13 करोड़ से भी अधिक किसान जुड़े हैं । देश के किसानों के बीच उनकी गहरी पहुंच के कारण वे अपने कार्यक्षेत्र में नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, निवेशक जागरुकता, कानूनी साक्षरता, आधार नामांकन/अद्यतन, ई-कॉमर्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईआरसीटीसी, बस/हवाई टिकट, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि निविष्टियों, आदि से संबंधित सेवाओं सहित CSC योजना के अधीन डिजी सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में काम कर सकते हैं ।

दिनांक 2 फरवरी, 2023 को सहकारिता मंत्रालय, ईलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड सर्विसेज़ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

यह न केवल आम नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में CSC सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए पैक्स को नोडल केंद्रों में परिवर्तित करने में भी मदद करेगा । इससे उनकी व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता आएगी जिससे उनके राजस्व प्रवाह में वृद्धि होगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर संस्था

बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इस पहल से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

3.1.4 कृषि और किसान कल्याण विभाग की किसान उत्पादक संघ (FPO) योजना के तहत पैक्स

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) पंचायत/ग्राम स्तर पर विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने में लिप्त हैं जैसे किसानों को अल्पकालिक ऋण; बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि निविष्टियों का वितरण; कृषि उपज की परख, छंटाई, वर्गीकरण और भंडारण; आदि। किसानों के बीच अपनी गहरी पहुंच का लाभ उठाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा पैक्स भी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाएंगे ताकि एफपीओ योजना, जिसका लक्ष्य देश भर में 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन करना है, के लाभ सहकारी क्षेत्र को भी प्राप्त हो सके। इससे न केवल विभिन्न किसान-केंद्रित सेवाओं की पहुंच में सुधार होगा बल्कि *'सहकार से समृद्धि'* की परिकल्पना को साकार करके देश में सहकारी आंदोलन का विस्तार होगा।

3.1.5 सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

3,107 लाख मेट्रिक टन (2020-21) के कुल उत्पादन के साथ भारत, दुनिया में खाद्यान्न का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तथापि, इसकी भंडारण क्षमता इसके कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग मात्र 47% ही है। लगभग सभी देशों की भंडारण क्षमता उनके कुल खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका (161%), ब्राज़ील (149%), कनाडा (148%), रूस (132%), अर्जेंटीना (130%), फ़्रांस (129%), यूक्रेन (114%) और चीन (107%) शामिल हैं। भंडारण के बुनियादी संरचना की कमी से बहुमूल्य खाद्यान्न की बर्बादी होती है और किसानों द्वारा फसल की संकटकालिक बिक्री करनी पड़ती है।

देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की भारी कमी को दूर करने के लिए संबंधित हितधारकों के परामर्श से 'सरकार की समग्र दृष्टिकोण' का लाभ लेकर सहकारिता मंत्रालय ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण द्वारा सहकारी क्षेत्र में 'विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' तैयार की है। बजट 2023-24 में भी इसकी घोषणा की गई है।

इस योजना के अधीन पैक्स स्तर पर गोदाम, कस्टम हाइरिंग सेंटर, अनाज खरीद केंद्र, सामान्य प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें, आदि सहित विभिन्न प्रकार के कृषि अवसंरचनाओं का

निर्माण किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं की उपलब्धता से किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर कीमतें प्राप्त करने के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पैक्स स्तर पर गोदामों और अन्य अवसंरचनाओं का निर्माण, आधुनिकीकरण और उन्नयन से खाद्यान्न की बर्बादी की रोकथाम होगी और देश की खाद्य सुरक्षा सशक्त होगी। इससे पैक्स को बहुउद्देश्यीय सोसाइटी में परिवर्तित करने में भी मदद मिलेगी जिससे वे स्थानीय स्तर पर ही लोगों की विभिन्न जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। यह योजना 12 राज्यों के 12 चिह्नित पैक्स में प्रयोग के रूप में कार्यान्वयनाधीन है।

3.1.6 सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का अभिसरण

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत अभिसरण के लिए निम्नलिखित योजनाओं की पहचान की गई है:

(क) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय:

i. कृषि अवसंरचना कोष (AIF),
ii. कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI),
iii. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH),
iv. कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM)

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय:

i. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME),
ii. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

(ग) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय:

i. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्न का आवंटन,
ii. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य

देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अभिसरण हेतु पहचान की गई है:

घ) डेयरी और पशुपालन विभाग:

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)
ii. डेयरी प्रसंस्करण एवं बुनियादी ढांचा विकास निधि (DIDF)

ड) मत्स्यपालन विभाग:

i. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), और
ii. मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास (FIDF)

3.2 भारत में सहकारी आंदोलन का विस्तार करना

3.2.1 नई राष्ट्रीय सहकारी नीति

नवसृजित सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश को पूरा करने के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार और देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करने के लिए तथा सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन के लिए नई राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाने की आवश्यकता थी क्योंकि वर्तमान नीति दो दशक से अधिक पुरानी है ।

इस संबंध में मंत्रालय की वेबसाइट और Mygov पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, 20 राष्ट्रीय सहकारी संघों, RBI और NABARD सहित 120 संस्थानों/संगठनों और आम जनता सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किए गए । जवाब में, Mygov पोर्टल पर 482 सुझाव प्राप्त हुए और सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर 68 सुझाव प्राप्त हुए ।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 और 13 अप्रैल, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता सचिव/सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के राज्य पंजीयकों साथ एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित नीति संरचना के विभिन्न पहलुओं; विनियामक, नीतिगत और परिचालन बाधाओं की पहचान; सुगम व्यापार; शासन सुधार; नई और सामाजिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन; निष्क्रिय सहकारी समितियों को पुन:सक्रिय करना; सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक इकाई बनाना; सहकारी समितियों के बीच सहयोग और सहकारी समितियों की सदस्यता में वृद्धि पर विचार-विमर्श किया गया । इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 और 9 सितंबर, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी मंत्रियों की दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन और अध्यक्षता माननीय गृह और सहकारिता मंत्री ने की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रभावी, सर्वसमावेशी और प्रगतिशील राष्ट्रीय सहकारी नीति संरचना के विभिन्न पहलुओं और स्वरूप पर चर्चा हुई ।

12-13 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में नई सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन

विभिन्न मुद्दों, नीतिगत सुझावों और फीडबैक और सिफारिशों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, दिनांक 2 सितंबर 2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है, जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारीगण शामिल हैं जो सहकारी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता की प्राप्ति हेतु संरचना प्रदान करने के लिए नई सहकारिता नीति बनाएगी । प्रासंगिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए मार्च, 2023 तक समिति द्वारा हितधारकों के साथ सात बैठकें हो चुकी हैं ।

3.2.2 प्रत्येक पंचायत में बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियाँ स्थापित करना

सहकारी आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश में लगभग 29 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं । विशेषकर कृषि, डेयरी और मात्स्यिकी सेक्टरों की सहकारी समितियाँ ग्रामीण आबादी को न केवल जीवनयापन के अवसर प्रदान करती हैं बल्कि समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के साथ वित्तीय सुरक्षा कवच भी प्रदान करती हैं ।

देश में एक लाख से अधिक पैक्स हैं जिनमें बतौर सदस्य 13 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं; लगभग 1,38,000 प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियाँ और लगभग 25,000 प्राथमिक मात्स्यिकी

सहकारी समितियाँ हैं । तथापि, देश भर में उनका प्रसार विषम है और लगभग 1.6 लाख पंचायतें बिना किसी पैक्स के और लगभग 2 लाख पंचायतें बिना किसी प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के हैं ।

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवहनीय बनाए रखने में इन प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने प्रत्येक कवर न हुए पंचायत/गांव में व्यवहार्य बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां, जो भी दशा हो, स्थापित करने और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के सहयोग द्वारा मौजूदा पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सशक्त करने की योजना तैयार की है । शुरुआत में, आगामी पांच वर्षों में दो लाख ऐसी समितियां स्थापित करने का लक्ष्य है ।

इस योजना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और अभिसरण के लिए चिह्नित योजनाओं के दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन सहित आवश्यक कदम उठाने के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) का गठन किया गया है जिसमें बतौर सदस्य माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री; संबंधित सचिव; अध्यक्ष नाबार्ड, एनडीडीबी; प्रबंधन निदेशक, एनसीडीसी और मुख्य कार्यकारी, एनएफडीबी को शामिल किया गया है । इसके अलावा, जमीनी स्तर पर योजना के प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया है।

इस योजना के तहत पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों को उनके संबंधित जिला और राज्य स्तरीय संघों से जोड़ा जाएगा । 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' का लाभ उठाकर ये प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियाँ अपनी व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना, जैसे दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएँ, बल्क दुग्ध कूलर, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयाँ, मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण इकाइयाँ, बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण, मछली कियोस्क, हैचरी का विकास, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का अधिग्रहण, आदि की स्थापना और आधुनिकीकरण कर सकेंगे ।

इससे किसान सदस्यों को अपनी उपज का विपणन, अपने बाजारों का विस्तारण, अपनी आय वर्धन, गांव के स्तर पर ही ऋण सुविधाएं और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्राप्त हो सकेगा और उन्हें आपूर्ति श्रृंखला में निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा जिसके फलस्वरूप संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा । नए व्यवहार्य बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक

डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों, जो भी मामला हो, की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव पड़ेगा ।

3.2.3 नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों की स्थापना:

राष्ट्रीय सहकारी समितियाँ बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं । सहकारिता मंत्रालय की स्थापना से पूर्व बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की अनुसूची II के अंतर्गत आखिरी ऐसी राष्ट्रीय सहकारी समिति का गठन 1987 में किया गया था जब भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से किया गया था । राष्ट्रीय सहकारी समितियों पर विशेष प्रशिक्षण, शिक्षा प्रदान करने, अनुसंधान करने और बाजार सूचना प्रणाली विकसित करने, लोगो ब्रांड प्रचार, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के अलावा अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता, व्यवहार्यता मानदंड विकसित करने और उनके द्वारा सहकारी समितियों के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है । वे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने सदस्यों की ओर से व्यावसायिक सेवाएँ भी ले सकते हैं । वर्ष 1987 में ट्राइफेड के गठन के 36 वर्षों के अंतराल के बाद, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों की स्थापना की गई है ।

3.2.3.1 राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड

तीन राष्ट्रीय सहकारी समितियाँ, अर्थात् इफको, कृभको, नेफेड; एक राज्य स्तरीय सहकारी समिति, अर्थात् गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल) और सांविधिक निकाय, अर्थात् एनसीडीसी ने 500 करोड़ रुपये की कुल चुकता पूंजी के साथ इस समिति को प्रोत्साहित करने के लिए हाथ मिलाया जिसमें प्रत्येक प्रमोटर ने 100 करोड़ रुपये का अंशदान किया । सोसाइटी की कुल अधिकृत पूंजी 2500 करोड़ रूपए । गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल) इसका मुख्य प्रमोटर है। पैक्स से लेकर शीर्षस्थ स्तर की सहकारी समितियाँ, अर्थात् प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ, जिनमें निर्यात में रुचि रखने वाले प्राथमिक समितियाँ, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ शामिल हैं, इसके सदस्य बनने के लिए पात्र हैं । इस समिति ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन दिनांक 25.01.2023 को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के साथ खुद को पंजीकृत किया है ।

यह राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहार व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष के निर्यात पर फोकस करेगी जिससे विश्वभर में भारतीय सहकारी उत्पादों/सेवाओं की मांग बढ़ेगी और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे

उत्पादों/सेवाओं के अधिशेष की सर्वोत्तम संभावित कीमतें प्राप्त होंगी और भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे । यह राष्ट्रीय स्तर की समिति, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, अर्थात् सहकारिता मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और विदेश मंत्रालय के निर्यात संबंधी विभिन्न योजनाओं और नीतियों का 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' के माध्यम से सहकारी समितियों को केंद्रित तरीके से लाभ दिलाने में भी मदद करेगी । यह सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान और विकास, आदि और व्यापार सहित विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित करेगा । यह समिति वित्तीयन की व्यवस्था करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, बाजार आसूचना प्रणाली विकसित और अनुरक्षित करने, संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करने और ऐसी अन्य कार्यकलापों में भी मदद करेगी जिससे सहकारी क्षेत्र और अन्य संबंधित संस्थाओं से निर्यात में वृद्धि होगी । राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को राजपत्र के दिनांक 21.03.2023 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है ।

3.2.3.2 भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड

तीन अग्रणी राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ, अर्थात् इफको, कृभको, नेफेड; दो सांविधिक निकायों, अर्थात् एनडीडीबी और एनसीडीसी ने 250 करोड़ रुपये की कुल चुकता पूंजी के साथ इस समिति को प्रोत्साहित करने के लिए हाथ मिलाया जिसमें प्रत्येक प्रमोटर ने 50 करोड़ रुपये का अंशदान किया है । इस समिति की कुल अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए है । इसका मुख्य प्रमोटर कृभको है । प्राथमिक से लेकर शीर्षस्थ स्तर तक की सहकारी समितियाँ, अर्थात् प्राथमिक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय समितियाँ इसके सदस्य बनने के पात्र हैं । इस समिति ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन दिनांक 25.01.2023 को केंद्रीय पंजीयक के साथ खुद को पंजीकृत किया। बीज समिति सहकारिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और उसकी एजेंसियों विशेषकर आईसीएआर और एनएससी और अन्य क्षेत्रक मंत्रालयों के साथ उनकी नीतियों, योजनाओं, एजेंसियों के माध्यम से 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' का अनुपालन करते हुए तथा बीज अनुसंधान एवं विकास में लिप्त भारतीय और विदेशी संगठनों/उद्यमों, देश में सहकारी समितियों के सभी स्तरों और किसी भी अन्य एजेंसी के साथ समन्वय का कार्य करेगी जो समिति के उद्देश्यों की सफल प्राप्ति के लिए आवश्यक हो । बीज सहकारी समिति जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), बहुराज्य सहकारी समितियों और संघों के माध्यम से सभी प्रकार की सहकारी संरचनाओं और अन्य सभी साधनों को शामिल करके उन्नत बीजों की खेती और बीज किस्मों का परीक्षण, ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करके सांविधिक वैधानिक रिजर्व

आवश्यकता (एसआरआर), किस्म प्रतिस्थापन दर (वीआरआर) को बढ़ाएगा । यह समिति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ लेकर पैक्स के माध्यम से बीजों की तीनों पीढ़ियों, अर्थात् प्रजनक, बुनियादी और प्रमाणित बीजों का उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करेगी । यह सहकारी समिति भारत में सहकारी समितियों के माध्यम से उन्नत बीजों के उत्पादन वृद्धि में मदद करेगी जिससे आयातित बीजों की निर्भरता में कमी आएगी, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति हो सकेगी । इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल द्वारा "सहकार-से-समृद्धि" के लक्ष्य की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी, जहां सदस्यों को उन्नत बीजों के उत्पादन के माध्यम से बेहतर कीमतों की प्राप्ति, उच्च उपज वाले किस्म (एचवाईवी) के बीजों के उपयोग से फसलों का उच्च उत्पादन और समिति द्वारा सृजित अधिशेष से वितरित लाभांश से भी फायदा प्राप्त होगा । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है ।

3.2.3.3 राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड

तीन अग्रणी सहकारी समितियां, अर्थात् गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल), नेफेड, एनसीसीएफ और दो राष्ट्रीय स्तर के संगठनों, अर्थात् एनडीडीबी और एनसीडीसी ने इस समिति को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की कुल चुकता पूंजी के साथ हाथ मिलाया जिसमें प्रत्येक प्रमोटर ने 20 करोड़ रुपये का अंशदान दिया । समिति की कुल अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए है । राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) इस समति का मुख्य प्रमोटर है । पैक्स से लेकर शीर्षस्थ स्तर तक की सहकारी समितियाँ, अर्थात् प्राथमिक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की समितियाँ इसके सदस्य बनने के पात्र हैं । इस समिति को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन दिनांक 25.01.2023 को पंजीकृत किया गया ।

यह सहकारी समिति जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधाओं, विपणन के लिए संस्थागत् सहायता प्रदान करेगी और पैक्स/एफपीओ सहित अपने सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक किसानों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था में मदद करेगी और सरकार की विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों की मदद से जैविक उत्पादों के संवर्धन व विकास संबंधी सभी कार्यकलाप करेगी । यह परीक्षण और प्रमाणन लागत को घटाने के लिए समिति द्वारा यथानिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले मान्यताप्राप्त जैविक परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रमाणन निकायों को सूचीबद्ध करेगा । यह सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं द्वारा उत्पादित जैविक

उत्पादों की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करेगा । यह शुल्क के आधार पर अमूल और अन्य एजेंसियों के ब्रांड और विपणन नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न व्यावसायिक मॉडल अपनाएगी और साथ ही स्वयं इसका विकास भी करेगी ।

यह जैविक उत्पादकों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने और भारतीय जैविक बाजार की समर्पित बाजार आसूचना प्रणाली को विकसित और अनुरक्षित करने मदद करेगी । जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए नियमित सामूहिक खेती और जैविक खेती के बीच संतुलित दृष्टिकोण रखा जाएगा । इस प्रस्तावित अंब्रेला संगठन के माध्यम से प्रामाणिक और प्रमाणित जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन से विभिन्न स्तरों पर जैविक उत्पादों की मांग उनके उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे । अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक वस्तुओं के प्रसंस्करण से अतिरिक्त रोजगार भी सृजित होंगे । यह समिति, सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों की घरेलू खपत और निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगी जिससे "*मेक इन इंडिया*" को बढ़ावा मिलेगा और *आत्मनिर्भर भारत* की प्राप्ति हो सकेगी । राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड को भारत के राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है ।

3.2.4 सहकारी समितियों की जेम (GeM) पर ऑनबोर्डिंग

दिनांक 1 जून, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर क्रेता के रूप में पंजीकृत होने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया । चरणबद्ध कार्यान्वयन के प्रथम चरण में, 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर और जमा वाली सभी पात्र सहकारी समितियाँ GeM पोर्टल पर ऑर्डर देने में सक्षम होंगी । कुल 619 सहकारी समितियों को चयनित किया गया है जो GeM पर ऑनबोर्ड हेतु पात्र हैं और अब तक 526 सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर क्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है । भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) को सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग में मदद करने और जेम अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है । GeM पोर्टल सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक लाभकारी मंच होगा और खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को GeM पर आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा ।

दिनांक 9 अगस्त, 2022 को जेम पोर्टल पर सहकारिताओं की ऑनबोर्डिंग का ई-लॉन्च

3.3 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

3.3.1 भारत में विश्व की कुल सहकारी समितियों का लगभग 25% है देश में सहकारी आंदोलन का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है इसलिए देश में उनके कार्यकलापों, सदस्यता, वित्तीय विवरणों, इत्यादि के बारे में एक व्यापक, प्रामाणिक और अद्यतित सहकारी डेटाबेस विकसित करने की आवश्यकता है । 'सहकार से समृद्धि' के अपने अधिदेश और परिकल्पना को पूरा करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों, संबंधित संस्थानों और विभिन्न स्तरों (प्राथमिक से शीर्षस्थ तक) पर अन्य हितधारकों के साथ परामर्श द्वारा एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ की है ।

3.3.2 उद्देश्य

सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने का उद्देश्य देश भर में विभिन्न क्षेत्रों की 8.5 लाख सहकारी समितियों पर प्रामाणिक और अद्यतित सूचना तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करना है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारी समितियों से संबंधित कई मापदंडों, अर्थात् सदस्यों की अवस्थिति और संख्या, आर्थिक कार्यकलाप, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, संचालन के स्तर, आईसीटी का प्रयोग, रोजगार, इनपुट और आउटपुट, वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन, आस्ति व देनदारियां, आदि पर डेटा एकत्र करेगा ।

3.3.3 डेटाबेस का लाभ

प्रस्तावित डेटाबेस सहकारी क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सहकारी संघों, सहकारी समितियों और नाबार्ड जैसे क्षेत्रक संस्थानों, आदि के लिए योजना बनाने का मुख्य उपकरण के रूप में कार्य करेगा । इससे नीति निर्माण में मदद मिलेगी, प्रशासन और पारदर्शिता में सुधार होगा । इससे सहकारी क्षेत्र को कारोबारी माहौल में बेहतर स्थिति बनाने में भी मदद मिलेगी । यह डेटाबेस केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा अनुरक्षित विभिन्न डेटाबेस के साथ समन्वय भी करेगा । इस डेटाबेस को राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर अन्य संबंधित डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा । डेटाबेस के सत्यापन, अनुरक्षण, विस्तार और नियमित अद्यतनीकरण का भी प्रावधान किया गया है ।

3.3.4 राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के चरण

सहकारी क्षेत्र की विविध प्रकृति और आकार को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से एक समग्र और प्रामाणिक डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया गया ।

चरण	**कार्य**	**वर्तमान स्थिति**	**समापन की तारीख/लक्ष्य**
चरण -I	तीन क्षेत्रकों अर्थात् पैक्स (100429), डेयरी (138179) और मात्स्यिकी (24796) की 2.64 लाख सहकारी समितियों की मैपिंग.#	समापन	फरवरी, 2023
चरण-II (वर्टीकल लिंकेज)	राष्ट्रीय सहकारी समतियों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंक, सहकारी चीनी समिति, बहुराज्य सहकारी समितियों, राज्य और जिला संघों/यूनियनों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में डेटाबेस का विस्तार	मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ	जून, 2023
चरण-III	सभी समितियों को कवर करने के लिए अन्य क्षेत्रको की सहकारी समितियों (5.8 लाख) में डेटाबेस का विस्तार।	अप्रैल 2023 में आरंभ किया जाना हैं, 2023	जून, 2023

नोट: **पैक्स, डेयरी** और **मात्स्यिकी** सहकारी समितियों का राज्यवार वितरण ***अनुबंध-IV*** पर दिया गया है

3.4 राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय

सहकारिता-आधारित आर्थिक मॉडल के संवर्धन और उचित संस्थागत संरचना के निर्माण के माध्यम से देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, संसद के अधिनियम द्वारा सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, अर्थात् राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया में है । सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विशेषीकृत विश्वविद्यालय होगा ।

3.5 बजट और योजनाएँ

3.5.1 बजट: बजट प्रावधानों और व्यय का सारांश

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 6 जुलाई, 2021 को तत्कालीन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW) से की गई थी । कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट में से 372.30 करोड़ रुपये वर्ष 2021-22 के लिए सहकारिता मंत्रालय को आवंटित किया गया । वर्ष 2022-23 के लिए, सहकारिता मंत्रालय को 900 करोड़ रुपये का बजट अनुमान (बीई) का आवंटन किया गया और संशोधित अनुमान (आरई) चरण पर बजटीय सहायता बढ़ाकर 1624.74 करोड़ रुपये कर दिया गया था । मंत्रालय के अनुपूरक अनुदान मांगों के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय का कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर 2041.82 करोड़ रुपये कर दिया गया । एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय का कुल वास्तविक व्यय 1671.36 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान का 185.71% और वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान का 102.87% था ।

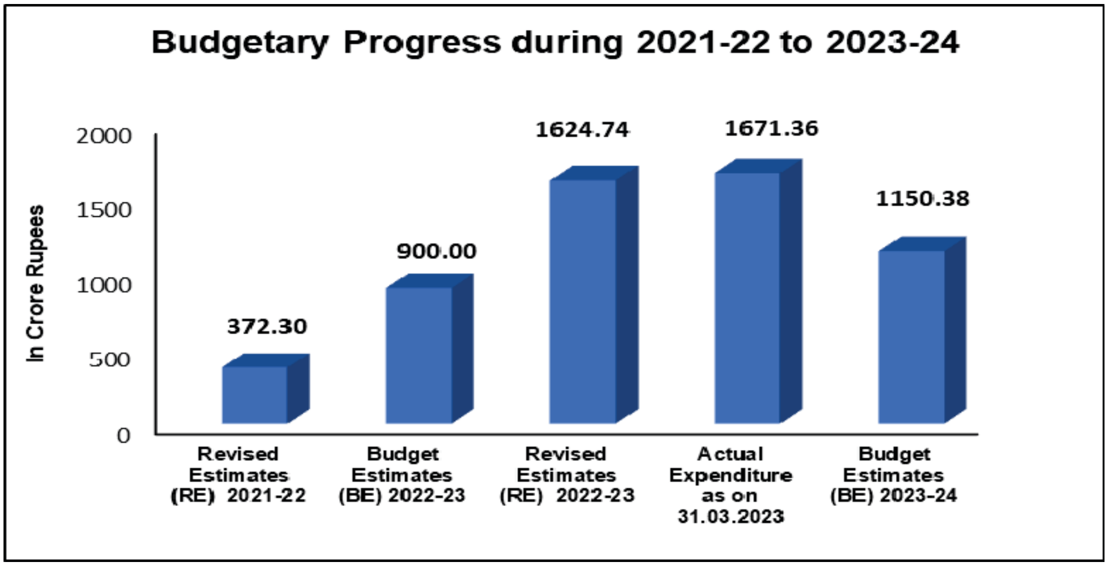

3.5.2 आम बजट 2023-24 में सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए घोषित विभिन्न उपाए

क. पहलें

- विशाल विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना ताकि किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकें और उचित समय पर उसे बेच कर लाभकारी कीमत प्राप्त कर सकें ।
- आगामी 5 वर्षों में कवर न हुए पंचायतों और गांवों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक मात्स्यिकी/डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना में सरकार द्वारा मदद दी जाएगी ।
- PACS के लिए आदर्श उपविधियां तैयार किए जा रहे हैं जिससे वे बहुउद्देशीय बन सकेंगे ।
- सहकारी समितियों की देशव्यापी मैपिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ।
- 2516 करोड़ रुपये की लागत से 63000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का कार्य आरंभ किया गया है ।

ख. आयकर लाभ

- दिनांक 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कर दरों का लाभ मिलेगा (जैसा कि नई विनिर्माण कंपनियों के लिए है) । (आईटी अधिनियम की धारा 115 BAB)
- पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपये की उच्चतर सीमा प्रदान की गई । (आईटी अधिनियम की धारा 269SS और 269T)
- सहकारी समितियों को नकद निकासी हेतु स्रोत पर कर कटौती (TDS) के लिए 3 करोड़ रुपये की उच्चतर सीमा प्रदान की गई । (आईटी एक्ट की धारा 194N)

ग. सहकारी चीनी मिलों को राहत

- सहकारी चीनी समितियों के लिए निर्धारण वर्ष 2016-17 से पूर्व चीनी किसानों को किए गए भुगतान के दावों को 'व्यय' माना जाएगा । इससे सहकारी चीनी समितियों को लगभग 10000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी ।

3.5.3 योजनाएं:

3.5.3.1 केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना (CSISAC)

केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना (CSISAC) को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है । इस घटक का मुख्य उद्देश्य एनसीडीसी के माध्यम से सहकारी समितियों को आधुनिकीकरण, विस्तार और विविधीकरण के लिए सहायता प्रदान करना और शेयर पूंजी और मार्जिन धनराशि, आदि प्रदान करना है । इस घटक के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाते हैं: -

(i) **सहकारी समितियों के विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कम्प्यूटरीकरण, दुर्बल वर्ग कार्यक्रमों; पैक्स, जिला केन्द्रीय बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण और राज्य सहकारी संघों और सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों के कार्यालयों को सशक्त करने के लिए टी एंड पी प्रकोष्ठ योजना (टेपरिंग आधार पर सब्सिडी):**

(ii) सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और कृषि विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कंप्यूटरीकरण और दुर्बल वर्ग के कार्यक्रमों में सहकारी विकास को गति देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार, एनसीडीसी को कृषि-प्रसंस्करण, खाद्यान्न के विपणन और निविष्टियों की आपूर्ति, रोपण/बागवानी फसलों, जनजातीय सहकारी समितियों, डेयरी, मुर्गीपालन, पशुधन, मात्स्यिकी, हथकरघा, कॉएर, जूट, रेशम उत्पादन सहकारी समितियों, आदि जैसे दुर्बल वर्गों के विकास और सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए सहायता प्रदान करती है ।

(iii) **जिनिंग और प्रेसिंग सहित नई कपास मिलों का विकास या सहकारी कपास कताई मिलों की स्थापना या मौजूदा सहकारी कताई मिलों का आधुनिकीकरण, विस्तार एवं पुनर्वास:**

योजना का मूल उद्देश्य विकेंद्रीकृत बुनकरों को उचित दरों पर उन्नत धागों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा, मूल्य संवर्धन के माध्यम से कपास उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद करना है । इस घटक के तहत, सहकारी कताई मिलों को शेयर पूंजी की भागीदारी, मौजूदा मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तार, बीमार सहकारी कताई मिलों का पुनर्वास, सहकारी कताई मिलों और राज्य कपास संघों को मार्जिन धनराशि की

सहायता के अतिरिक्त मौजूदा कपास जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों का आधुनिकीकरण और नए कपास जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों की स्थापना करना है ।

(iv) **चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ (आईसीडीपी):**

इस योजना का लक्ष्य मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, हथकरघा और ग्रामीण उद्योगों, इत्यादि सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहकारी प्रयासों के माध्यम से देश के चयनित जिलों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, सहकारी नेटवर्क को मजबूत करना, क्षेत्र में ऋण और अन्य संस्थागत संरचनाओं के साथ प्रभावी संबंध बनाकर व्यवसाय विकास योजनाओं को बढ़ावा देना; पैक्स को बहुउद्देश्यीय संस्थाओं के रूप में विकसित करना और सहकारी समितियों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी, अर्थात् एनसीडीसी को अपनी प्रतिबद्ध देनदारियों को समाप्त करने के लिए CSISAC योजना के तहत 662.87 करोड़ रुपए जारी किए गए जिसमें से एनसीडीसी ने पात्र सहकारी समितियों को 371.65 करोड़ रुपए का संवितरण किया ।

3.5.3.2 "प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण" पर केंद्रीय प्रायोजित परियोजना

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए भारत सरकार ने 29 जून, 2022 को 2516 करोड़ रुपए की बजटीय परिव्यय से देशभर की 63,000 कार्यशील PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए PACS कम्प्यूटरीकरण परियोजना अनुमादित की । इस परियोजना में सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है । 24 राज्यों और 4 संघ राज्यक्षेत्रों से 54,752 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । वर्ष 2022-23 की बजट अनुमान में 350 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी । दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार 23 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्र को हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम के लिए 395.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, नाबार्ड को राष्ट्रीय स्तर डेटा भंडार की स्थापना, सॉफ्टवेयर विकास, प्रशिक्षण और परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए गए । उपर्युक्त वर्णित प्रक्रियाओं को पूरा करने और राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर पर 54,752 पैक्स को ऑनबोर्ड करने के लिए वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में 968.24 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है ।

अध्याय-4

सम्बद्ध और अधीनस्थ संगठन

"Manpower without Unity is not a strength unless it is harmonized and united properly, then it becomes a spiritual power"

सरदार वल्लभभाई पटेल

4.1 सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (CRCS)

सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय (CRCS) का कार्य सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और उनके समापन से संबंधित है, जिसके उद्देश्य किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, इसका उद्देश्य बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सम्मिलित सहकारी सिद्धान्तों और कानूनी ढांचे के अनुसार सहकारी समितियों को स्व: सहायता और पारस्परिक सहायता के आधार पर लोगों की संस्थाओं के रूप में इनके स्वैच्छिक रूप से निर्माण एवं प्रजातांत्रिक ढंग से कार्यकरण और उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण तथा कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना है । सीआरसीएस की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 243 ZH(F) बहु राज्य सहकारी सिमति अधिनियम, 2002 की धारा 4 के साथ पठित, के तहत की जाती है।

4.1.1 केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के कार्य

सभी बहुराज्य सहकारी समितियां, एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत आती हैं। केन्द्रीय पंजीयक, सीआरसीएस कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान होते हैं । वर्तमान में सीआरसीएस के दो प्रमुख प्रभाग हैं, नामत: पंजीकरण और प्रबंधन । पंजीकरण स्कंध का कार्य एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अनुसार समितियों का पंजीकरण करना और उपविधियों में संशोधन करना है । प्रबंधन स्कंध का कार्य विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों से संबंधित है जिसमें बहुराज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) से संबंधित निर्वाचन, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा, वार्षिक रिटर्न एवं अन्य मद्दे आदि शामिल हैं। सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय द्वारा बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :

1. एमएससीएस का पंजीयन
2. एमएससीएस की उपविधियों का संशोधन
3. परिवर्तन के माध्यम से सहकारी समितियों का बहुराज्य सहकारी समितियों के रूप में पंजीकरण

4. बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दे और इनके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के संगठन, उनका कार्यान्वयन और अनुवर्तन ।
5. सहकारी विधानों से संबंधित प्रस्तावों का परीक्षण ।
6. एमएससीएस अधिनियम/ नियमों में संशोधन से संबंधित कार्य ।
8. बहुराज्य सहकारी समितियों और उनके सदस्यों से प्राप्त शिकायतों/ परिवाद का निवारण ।
9. बहुराज्य सहकारी समितियों में मध्यस्थों/ रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति ।
10. बहुराज्य सहकारी समितियों का निरीक्षण एवं जांच तथा अधिनियम के तहत समितियों का परिसमापन ।

4.1.2 बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 तथा उसका प्रशासन

बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 को बहुराज्य सहकारी अधिनियम, 1984 के स्थान पर अधिनियमित किया गया जिसका उद्देश्य स्थापित सहकारी सिद्धांतों के अनुसार बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रजातांत्रिक कार्यकरण और स्वायत्त तरीके से उनकी कार्यशीलता सुगम करना था ।

देश में सहकारिता विधान की शुरूआत प्राथमिक सहकारी साख समितियों के गठन को सुविधाजनक बनाने के लिए सहकारी साख समिति अधिनियम, 1904 के अधिनियमन के साथ हुई । इसके बाद सहकारी समिति अधिनियम, 1912 आया जिसमें गैर-साख और फेडरल सहकारी समितियों के गठन की व्यवस्था की गई । तत्पश्चात, एक राज्य से अधिक प्रभाव क्षेत्र वाली सहकारी समितियों के गठन में सुविधा के लिए बहु एकक सहकारी समिति अधिनियम, 1942 को अधिनियमित किया गया । राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों के उद्भव के साथ ही, जो विभिन्न राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों से शासित थी, संसद में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I संघ सूची की प्रविष्टि-44 के तहत बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 को अधिनियमित किया गया।

बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 को बहुराज्य सहकारी अधिनियम, 1984 के स्थान पर अधिनियमित किया गया जिसका उद्देश्य स्थापित सहकारी सिद्धांतों के अनुसार बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रजातांत्रिक कार्यकरण और स्वायत्त तरीके से उनकी कार्यशीलता सुगम करना था । बहुराज्य सहकारी समितियों का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा और इसके साथ ही पंजीकरण एवं संशोधन आवेदनों संबंधी डाटा अनुबंध- III में दिया गया है ।

4.1.3 बहुराज्य सहकारी समिति (संशोधन) (विधेयक) 2022

संविधान के अनुच्छेद 243 ज़ेड टी के अनुसार, बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधान जो संविधान के भाग IXB के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, जब तक उन्हें संशोधित नहीं किया जाता है या समाप्त नहीं किया जाता है या संविधान (97वें) (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति तक, इनमें जो भी पहले हो, तब तक लागू रहेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना अनिवार्य है।

बहुराज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 को बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए दिनांक 07.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया, इसका उद्देश्य वर्तमान अधिनियम को संविधान के भाग IXB के अनुसार बनाना और चुनाव सुधार, प्रशासन के सशक्तिकरण और पारदर्शिता, संरचना में सुधार, बोर्ड की बैठकें और सदस्यता से संबंधित प्रावधान ला कर; सहकारिता क्षेत्र द्वारा निधियां जुटाना, निगरानी व्यवस्था के सशक्तिकरण, कार्य करने में सुगमता बढाना आदि के द्वारा देश में बहुराज्य सहकारी क्षेत्र के बीच सहकारी आंदोलन को सशक्त करना है। यह विधेयक जांच और रिपोर्ट हेतु दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को संसद की एक संयुक्त् समिति को भेजा गया। संसद की संयुक्त समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार यह विधेयक संसदीय कार्य पद्धति के अनुसार लोक सभा में विचार हेतु लिया जाएगा।

4.1.4 केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

वर्तमान में एमएससीएस अधिनियम/नियमों के अंतर्गत पंजीकरण और अन्य प्रक्रियाएं ऑफलाइन विधि द्वारा की जाती हैं। सीआरसीएस कार्यालय के लिए ई-गवर्नेन्स पहल के तहत, ऑनलाइन इंटरएक्टिव पोर्टल और साथ ही मोबाइल ऐप का विकास किये जाने का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य सीआर सीएस कार्यालय को पेपर रहित कार्यालय बनाना और डिजीटाइज करना है; बहुराज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन को आसान बनाना; और सीआरसीएस कार्यालय के कार्यकरण में पारदर्शिता और दक्षता लाना है।

सीआरसीएस कार्यालय ने सीआरसीएस आफिस पोर्टल के डिजाइन, विकास और अनुरक्षण हेतु परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनआईसीएसआई के माध्यम से उसकी पैनलबद्ध एजेंसियों में से कार्यान्वयन एजेंसी का चयन किया गया है। इस परियोजना के आरंभिक चरण में पंजीकरण, संशोधन, वार्षिक विवरणी फाइल करना, अपील, मेम्बर एमएससीएस लॉगइन एवं सूचना तथा एमआईएस रिपोर्ट मॉड्यूल को लिया जा रहा है। सीआरसीएस कार्यकरण के

संबंध में अन्य मॉड्यूलों का विकास, हितधारकों से फीडबैक के आधार पर, बाद के चरणों में किया जाएगा।

4.1.5 केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के प्रशासन का सशक्तीकरण

सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक का कार्यालय (सीआरसीएस) के मुखिया तत्कालीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सीआरसीएस के रूप में अपर/संयुक्त सचिव थे। सहकारिता मंत्रालय बनने से पूर्व, एमएससीएस अधिनियम, 2002 के नियमन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु सीआरसीएस की मदद के लिए तकनीकी अधिकारियों और सहकारिता क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों का एक छोटा सा संवर्ग था। जूलाई, 2021 में सहकारिता मंत्रालय के बनने के बाद सीआरसीएस कार्यालय के लिए 64 नये तकनीकी और प्रशासनिक पद अनुमोदित हुए। अनुमोदित रिक्त तकनीकी पदों (32) को भरने के लिए भर्ती नियम बनाए गये हैं और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन के बाद संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गये हैं। तात्कालिकता को देखते हुए सभी तकनीकी पदों (32) को प्रतिनियुक्ति पर भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इन पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरने के लिए परिपत्र जारी किया गया है।

4.1.6 केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के लिए नया कार्यालय भवन

भावी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए स्वीकृत अतिरिक्त स्टाफ की जरूरतों हेतु अटल अक्षय ऊर्जा भवन में सीआरसीएस कार्यालय को आबंटित स्थान पर्याप्त नहीं है। आने वाले दिनों में चूंकि नये स्वीकृत पदों पर अधिकारी कार्यभार ग्रहण करेंगे और सहकारिता चुनाव कार्यालय (सीईए) और सहकारी लोकपाल कार्यालय के लिए कार्यालय खुलेंगे, इसलिए सीआरसीएस कार्यालय के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होगी।

तदनुसार, सीआरसीएस कार्यालय को एक अलग स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। कई विकल्प तलाशने के बाद नौरोजी नगर में स्थित आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में एनबीसीसी द्वारा निर्मित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट को सीआरसीएस कार्यालय के लिए उपयुक्त पाया गया है। मूल्यांकन एवं अनुमोदन के बाद सीआरसीएस कार्यालय के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आवश्यक स्थान खरीदने की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ-साथ सीपीडब्ल्यूडी द्वारा लेआउट और इंटीरियर एवं साज-सज्जा का कार्य शुरू किया गया है। सीआरसरएस कार्यालय को जून, 2023 तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

4.2 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

एनसीडीसी एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना ग्रामीण आर्थिक कार्यकलापों के विकास को आगे बढाने के लिए अखिल भारतीय रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की अनुशंसा पर दिनांक 14.03.1963 को संसद के एक अधिनियम के तहत की गई । इसकी नीतियां और कार्यक्रम इसकी सामान्य परिषद और प्रबंधन बोर्ड के मार्ग दर्शन में तैयार किये जाते हैं जिसका गठन भारत सरकार द्वारा सहकारी समितियों, अधिकारियों और गैर सरकारी सदस्यों में से किया जाता है । केन्द्र सरकार ने अपने राजपत्र अधिसूचना संख्या 2516 दिनांक 06 जुलाई, 2021 द्वारा नये सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की जिसका विजन 'सहकारिता से समृद्धि' है और एनसीडीसी को नये मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया ।

एनसीडीसी मुख्यालय भवन सहयोग का एक उदाहरण है

एनसीडीसी एक गैर इक्विटी आधारित संवर्धनात्मक संगठन है जिसका सृजन कृषि, उत्पाद, खाद्य सामग्री और कुछ अधिसूचित वस्तुओं का सहकारिता के सिद्धान्तों के आधार पर उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए आयोजना बनाना, संवर्धन और कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया गया । अन्य बिजनेस कार्य कलापों जैसे मात्स्यिकी, मुर्गीपालन, डेयरी, हैंडलूम और रेशम उत्पादन को शामिल करने के लिए वर्ष 1974 में एनसीडीसी अधिनियम में परिवर्तन किया गया और इस संशोधन से एनसीडीसी का संसाधन आधार व्यापक हुआ और इस प्रकार वह बाजार से निधियां जुटाने में सक्षम हुआ । इस अधिनियम में वर्ष 2002 में पुन: संशोधन किया गया ताकि कुछ

अन्य क्षेत्रों जैसे पशुधन, औद्योगिक वस्तुओं, हथकरघा, ग्रामीण शिल्प और कुछ अधिसूचित सेवाओं जैसे जल संरक्षण कार्य, सिंचाई, पशु स्वास्थ्य देखभाल, रोग नियंत्रण, कृषि बीमा और कृषि साख, ग्रामीण स्वच्छता और श्रमिक सहकारी समितियों से संबंधित सेवाओं के लिए वित्तपोषण को शामिल किया जा सके । इस संशोधन से एनसीडीसी कुछ निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत सहकारी समितियों का वित्तपोषण करने में सक्षम हुआ है ।

4.2.1 प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचा

एनसीडीसी का प्रबंधन एक सामान्य परिषद में निहित है जिसमें 51 सदस्य होते हैं और एक प्रबंधन बोर्ड जिसमें 12 सदस्य होते हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है ।

सामान्य परिषद नीति मार्गनिर्देश तैयार करती है और प्रबंधन बोर्ड इस निगम के सामान्य प्रबंधन को देखता है ।

4.2.2 एनसीडीसी सचिवालय

एनसीडीसी के मुखिया, प्रबंध निदेशक होते हैं और यह अपने मुख्यालय से काम करता है तथा इसके 18 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, चेन्नई, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिमला और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं । एनसीडीसी की प्रशिक्षण अकादमी, लक्ष्मणराव इनामदार नेश्नल एकैडमी फॉर कोआपरेटिव रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट (LINAC) गुरूग्राम हरियाणा में स्थित है और इसके विभिन्न राज्यों में 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं । एक शीर्ष निकाय की भूमिका निभाने में सहायता के लिए निगम ने इन हाउस तकनीकी और प्रबंधन क्षमताएं निर्मित की हैं ।

4.2.3 एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित योजनाएं / सहायता किये गये कार्यकलाप

अ. कार्यान्वित योजनाएं:

I. कृषि सहयोग पर तत्कालीन केन्द्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना – सहकारी समितियों के विकास के लिए एनसीडीसी कार्यक्रमों को सहायता -

क) विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, उपभोगता, सहकारी समितियों के दुर्बल वर्गों के कार्यक्रम, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और तकनीकी एवं संवर्धनात्मक प्रकोष्ठ योजना को राज्य सहकारी फेडरेशनों के प्रबंधन के सशक्तीकरण हेतु सहायता ।

ख) गिनिंग एवं प्रेसिंग प्रोग्राम को सहायता और नई सहकारी स्पिनिंग मिलों की स्थापना और मौजूदा मिलों का आधुनिकीकरण/ विस्तार और उन्हें पुर्नजीवित करना ।

ग) चुनिंदा जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं ।

II एनसीडीसी प्रायोजित योजनाएं

(क) स्वयं शक्ति पूंजी सहकार योजना: महिलाओं को निधियों की उपलब्धता बढाने और महिला स्वयं सहायता समूहों को पर्याप्त एवं तत्काल ऋण/अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने के लिए साख सहकारी समितियों के अनुपूरण की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूहों को आगे ऋण देने हेतु साख सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता के विस्तार संबंधी योजना ।

(ख) कृषक दीर्घावधि पूंजी सहकार योजना : कृषि साख सहकारी समितियों अर्थात प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पैक्स), जिला केंन्द्रीय सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों और राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को एनसीडीसी की दीर्घावधि ऋण देने की विस्तार की योजना जिसका उद्देश्य कृषि साख सहकारी समितियों के संसाधनों का पर्याप्त संख्या में दीर्घावधि ऋण/ एडवांस देने के लिए अनुपूरण करना है ।

(ग) युवा सहकार – सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना: इस स्कीम का उद्देश्य नवीन और/ अथवा नवाचार विचारों वाली नवनिर्मित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह एक सहकारी स्टार्टअप से जुड़ी होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण कार्यों में युवाओं को सहायता और प्रोत्साहित करने के लिए एनसीडीसी द्वारा इनोवेशन निधि सृजित की गई है । प्रोत्साहन के रूप में एनसीडीसी द्वारा परियोजना कार्यकलापों के लिए ऋणों पर लागू ब्याज दर से दो प्रतिशत कम ब्याज लिया जाता है ।

(घ) आयुष्मान सहकार : इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देख-रेख, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालियों को शामिल करने का व्यापक दृष्टिकोण है । प्रोत्साहन के रूप में महिला सदस्यों की प्रमुखता वाली सहकारी समितियों के लिए परियोजना पहलों हेतु एनसीडीसी द्वारा आवधिक ऋणों पर लागू ब्याज दर से एक प्रतिशत कम ब्याज लिया जाता है ।

(ङ) नंदिनी सहकार: इस स्कीम का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारना है और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यम गतिशीलता में सहायता की जाती है । इसका उद्देश्य महिलाओं के उद्यम के महत्वपूर्ण इनुपट का अभिसरण करना, कार्य योजना निर्माण,

क्षमता विकास, साख और सब्सिडी और/ अथवा अन्य स्कीमों का ब्याज सहायता करना है । प्रोत्साहन के रूप में एनसीडीसी द्वारा नवीन और नवाचार कार्यकलापों के लिए आवधिक ऋण भाग के अपनी ब्याज दर पर दो प्रतिशत की छूट दी जाती है और अन्य सभी कार्यकलापों के लिए एक प्रतिशत छूट दी जाती है ।

(च) डेयरी सहकार: यह सहकारी समितियों को ईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन) से जुड़े कार्यकलापों में अपेक्षाकृत अधिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता का एक सहकारी डेयरी कार्य केन्द्रित फ्रेमवर्क है । इसमें नई परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे का सृजन और मौजूदा परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और/ अथवा विस्तार करना शामिल है ।

(छ) डिजीटल सहकार: डिजीटल इंडिया के विजन के अनुरूप, डिजीटल इंडिया में सक्रिय रूप से शामिल सहकारी समितियों के उद्देश्य के साथ भारत सरकार/ राज्य/ संघराज्य क्षेत्र/ एजेंसियों से अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन आदि के साथ क्रमवेशित एनसीडीसी द्वारा सहायता और क्रेडिट लिंकेज हेतु डिजटलीय सशक्त सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी ने एक सकेन्द्रित वित्तीय सहायता फ्रेमवर्क की संकल्पना की है ।

आ. सहायता किये गये कार्यकलाप:

एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों को ऋणों (आवधिक ऋण और निवेश ऋण दोनों) के रूप में वित्तीय सहायता निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए दी जाती है –

i. विपणन,
ii. प्रसंस्करण
iii. भंडारण
iv. कोल्डचेन
v. सहकारी समितियों के माध्यम से अनिवार्य उपभेकता वस्तुओं का वितरण
vi. औद्योगिक
vii. साख और सेवा सहकारी समितियां/ अधिसूचित सेवाएं
viii. सहकारी बैकिंग युनिट
ix. कृषि सेवाएं
x. कमजोर वर्गों के लिए सहकारी समितियां
xi. सहकारी समितियों के कम्प्युटरीकरण के लिए सहायता
xii. संवर्धनात्मक और विकास संबंधी कार्यक्रम, आदि

एनसीडीसी के संचयी सवितरण और प्रगति विवरण

एनसीडीसी ने वर्ष 1963 में अपनी शुरूआत से लेकर दिनांक 31.03.2023 तक संचयी रूप से 2,52,580 करोड़ ₹ की राशि वितरित की है, क्षेत्रवार संवितरण नीचे दर्शाए गये हैं :

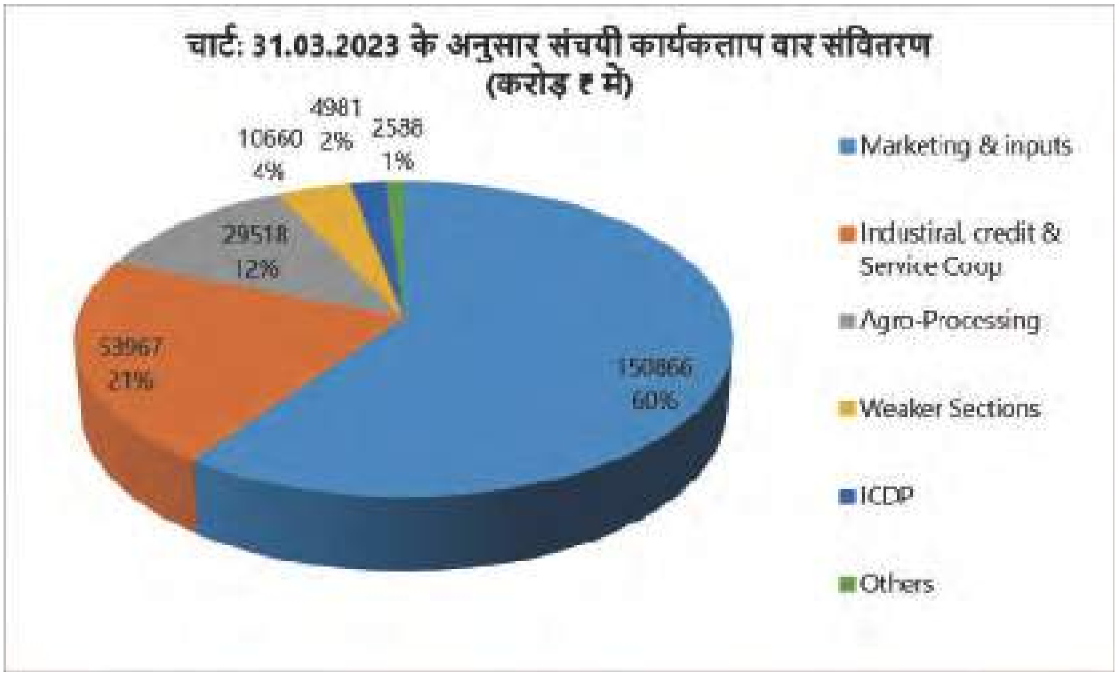

सवितरित राशि में स्थिर रूप से वृद्धि हुई है जो वर्ष, 2013-14 में 5300 करोड़ रूपये से बढ कर वर्ष 2022-23 में 41000 करोड़ रूपये हो गई है । इस अवधि के दौरान इन संवितरणों की वर्षवार वसूली 98 % से अधिक रही है ।

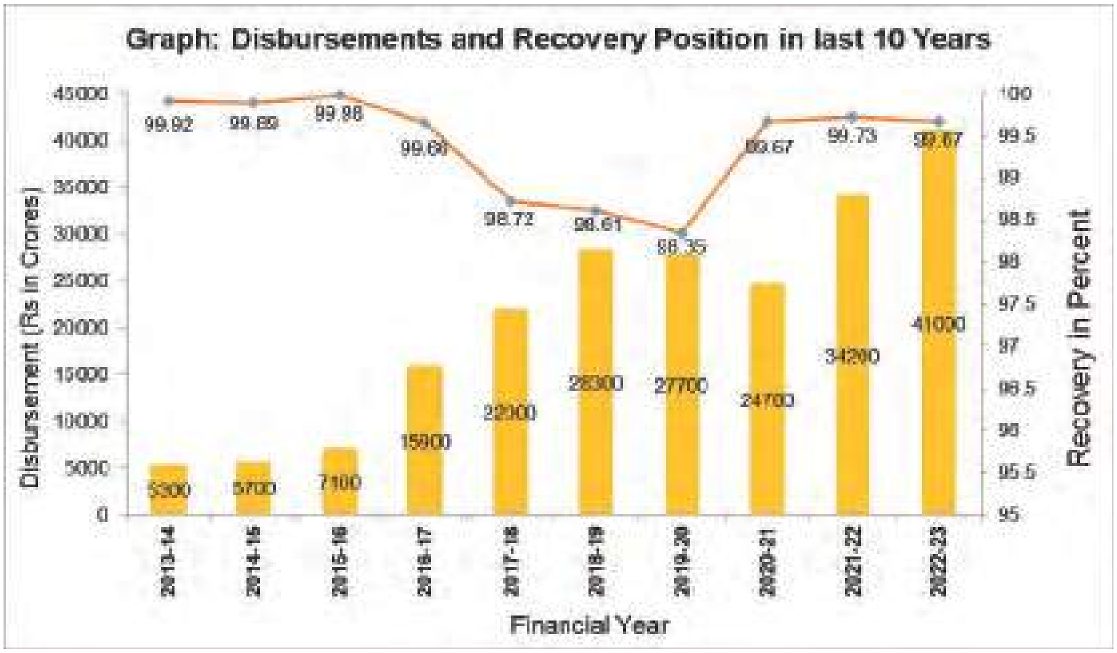

4.3 राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी)

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद एक स्वायत्त समिति है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत पंजीकृत है और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संवर्धित है । एनसीसीटी का कार्य देश में सहकारी क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों, बोर्ड सदस्यों और कार्मिकों के लिए सहकारिता प्रशिक्षण हेतु प्रबंध करना, निदेशन, निगरानी और मूल्यांकन करना है । इस परिषद में एक प्रशिक्षण संरचना है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर वैमिनीकॉम, पांच क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान हैं जो चंडीगढ, बेंगलुरू, कल्याणी, गांधीनगर, पटना में स्थित हैं और इसके चौदह सहकारी प्रबंधन संस्थान हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, कन्नूर, लखनऊ, मदुरै, नागपुर, पुणे और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं ।

6 जून, 2022 को भारत सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा की अध्यक्षता में एनसीसीटी और इसके संस्थानों की प्रशिक्षण गतिविधियों पर आयोजित समीक्षा बैठक

एनसीसीटी द्वारा सभी प्रकार के प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो सहकारी समितियों के लिए लाभकारी हैं । वरिष्ठ स्तर के कार्यकारी अधिकारियों हेतु कार्यक्रमों का आयोजन वैमिनीकॉम के माध्यम से किया जाता है और मध्यम स्तर के एवं कनिष्ठ स्तर के कार्यकारी अधिकारियों के लिए एवं सदस्यों हेतु कार्यक्रमों का आयोजन 19 RICMs/ICMs के माध्यम से किया जाता है । एनसीसीटी का मुख्य उद्देश्य आवश्यकता आधिारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना और देश में सहकारी समितियों के लिए मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया को सुगम बनाना है । इसमें सहकारिता आंदोलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान की परिकल्पना भी है ।

लिनाक (एनसीडीसी), गुरुग्राम में 10-12 जनवरी, 2023 के दौरान सहकारी विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया

एनसीसीटी की वर्ष 2022-23 में प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष 2022-23 में कुल 3287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 3028 फिजिकल मोड में और 205 वर्चुअल मोड में आयोजित किए गए। फिजिकल मोड में 1,77,744 प्रतिभागी थे, जबकि वर्चुअल मोड में 23,965 प्रतिभागी थे।

4.4 वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमिनीकॉम)

"Cooperative Training is not merely a prerequisite but is a permanent condition of cooperative activities"

वैकुंठ मेहता

वैमिनीकॉम, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिण परिषद के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय संस्थान है जो सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संवर्धित है, इसका कार्य देश में सहकारी क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के सहकारी प्रशिक्षण हेतु प्रबंध करना, निदेशन, निगरानी और मूल्यांकन करना है । वर्ष 1946 में मुम्बई में एक सहकारी प्रशिक्षण कालेज के रूप में स्थापित वैमिनीकॉम की स्थापना वर्ष 1967 में की गई, यह सहकारी प्रबंधन प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं के लिए एक शीर्षस्थ केन्द्र है। इसने सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी अपने कार्यकलापों का विस्तार किया है ।

पुणे में वैमनीकॉम कैम्पस

4.4.1 वैमिनीकॉम के केन्द्र

इस संस्थान के स्थापित केन्द्र निम्नलिखित हैं ।

1. सहकारी प्रबंधन केन्द्र (सीसीएम)
2. सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीआईटी)
3. प्रशिक्षण एवं सूचना प्रणाली केन्द्र (टीआईएस)
4. प्रबंधन शिक्षा केन्द्र (सीएमई)

5. जेंडर स्टडी केन्द्र (सीजीएस)
6. अनुसंधान एवं प्रकाशन केन्द्र (सीआरपी)
7. उद्यमिता विकास केन्द्र (सीईडी)

4.4.2 वैमिनीकॉम कार्यक्रम

वैमिनीकॉम ने कुल 178 शिक्षा कार्यक्रम (174 लघु अवधि के और 4 दीर्घ अवधि के) आयोजित किये । विभिन्न पहलुओं पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम और नेतृत्व विकास कार्यक्रम आदि का आयोजन वरिष्ठ/ मध्यम स्तर के अधिकारियों एवं सहकारी तथा संबद्ध क्षेत्र के गैर सरकारी अधिकारियों के लिए किया गया और 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक कुल 11,751 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

4.4.2.1 सहकारी कार्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिपलोमा (PGDCBM)

आज के सहकारिता कार्य परिवेश की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिभागियों को उपयुक्त प्रबंधन जानकारी देने के लिए सहकारी संगठनों और विभागों में कार्यरत वरिष्ठ स्तर के कार्मिकों हेतु यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है । PGDCBM कार्यक्रम का 56वां बैच 22 प्रतिभागियों के साथ 17 अगस्त, 2022 को शुरू हुआ और 17 फरवरी, 2023 को पूरा हुआ ।

माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2021 को आयोजित दीक्षांत समारोह में सफल प्रतिभागियों को डिपलोमा प्रदान किये गये ।

4.4.2.2 प्रबंधन-कृषि कार्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिपलोमा (PGDM - ABM)

वैमिनीकॉम के प्रबंधन शिक्षा केन्द्र द्वारा वर्ष 1993 से दो वर्षीय प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा दिया जाता है और वर्ष 2004 में PGDM- एबीएम शुरू किया गया। यह केन्द्र विभिन्न

शैक्षिक पृष्ठभूमि और विविध कौशल वाले युवा विद्यार्थियों को आने वाले कल के सक्षम व्यवसायियों के रूप में बदलता है । ये विद्यार्थी अपने क्षेत्रों में नूतृत्व की भूमिका में उभरने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली की समझ के साथ तकनीकी कौशल को जोड़ना सीखते हैं और समाज के सभी क्षेत्रों में प्रबंधन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण योगदान देने का ज्ञान प्राप्त करते हैं । कृषि कार्यक्षेत्र में व्यावसायिक प्रबंधकों की बढती हुई मांग को देखते हुए पीजीडीएम-एबीएम कार्यक्रम को कृषि कार्य प्रबंधन (एबीएम) में विशेषज्ञता के साथ पुनर्गठित किया गया है ।

पीजीडीएम-एबीएम को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा प्रत्यायित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और इसे भारतीय विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन (एआईयू) द्वारा एमबीए डिग्री के समकक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2022-24 बैच (प्रथम वर्ष) मे 99 विद्यार्थी और वर्ष 2021-23 (द्वितीय वर्ष) में 70 विद्यार्थी शामिल हैं।

श्री बी.एल.वर्मा, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार 11 जुलाई 2022 को पीजीडीएम-एबीएम 2022-24 बैच के 30वें बैच का उद्घाटन करते हुए

4.4.3 अनुसंधान और प्रकाशन

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, इस संस्थान के अभिन्न भाग हैं । इस संस्थान का एक पूर्ण पैमाने वाला पृथक केन्द्र है जिसे 'अनुसंधान एंव प्रकाशन केन्द्र' के रूप में जाना जाता है । यह केन्द्र विभिन्न

अनुसंधान परियोजनाएं चलाता है जो नीति अनुशंसा और साथ ही प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में काम करती है । यह संस्थान उपयोगकर्ता संगठनों को कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम के माध्यम से प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है ।

इस केन्द्र ने 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक 8 अनुसंधान परियोजनाओं और उनके साथ ही 2 केस स्टडी, अनुसंधान लेख/ पेपर प्रकाशन/ पेपर प्रस्तुतीकरण हेतु 12 प्रकाशन और दो वर्किंग पेपर पर काम किया ।

4.4.4 कृषि बैंकिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रशिक्षण हेतु केन्द्र (सीआईसीटीएबी)

FAO की पहल पर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1983 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में कृषि बैंकिंग क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रशिक्षण के लिए केन्द्र की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय वैंकुठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान परिसर, पुणे में है ।

CICTAB का गठन, सीआईसीटीएबी पर एफएओ मिशन की अनुशंसाओं के अनुरूप (अध्यक्ष बी वेंकटपइया, पूर्व डिप्टी गवर्नर, आरबीआई) और पुणे में संपन्न हुए सीआईसीटीएबी के चार प्रारंभिक सदस्य देशों नामत: बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत के सरकारी परामर्शों की पुष्टि के साथ के साथ किया गया । CICTAB प्रारंभ में इस क्षेत्र के चार देशों नामत: बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत के लिए कार्यशील हुआ ।

तत्पश्चात, वर्ष 1991 में सीआईसीटीएबी की सामान्य परिषद ने सार्क क्षेत्र के सभी देशों के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास प्रयासों के मुख्य केन्द्र के रूप में सीआईसीटीएबी के कार्यकलापों के विकास को पुर्नजीवित करने का निर्णय लिया ।

सीआईसीटीएबी के उद्देश्य;

i. ग्रामीण वित्तपोषण और विकास के कार्य में लगे हुए कृषि बैंकिंग-साख एवं अन्य संगठनों में प्रशिक्षण व्यवस्था को बढावा देना और सशक्त करना ।

ii. कृषि/ ग्रामीण वित्तपोषण और विकास के विभिन्न पहलुओं पर भारत में अथवा इस क्षेत्र के अन्य देशों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ कार्यशालाएं/ संगोष्ठियां आयोजित करना ।

सीआईसीटीएबी एक स्वायत्त संस्थान है जिसमें प्रमोटर मेम्बर, जैसा कि संगम ज्ञापन में सूचीबद्ध हैं, और अन्य सदस्य शामिल हैं । सीआईसीटीएबी ने अप्रैल, 2022 से मार्च, 2022 तक 23 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं और 581 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

वैमिनीकॉम पुणे में 9-12 नवम्बर, 2022 के दौरान 'एकीकृत राजकोष प्रबंधन' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

अध्याय-5

राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां/संघ

"The basic idea of governance, as I see it, is to hold the society together so that it can develop and march towards certain goals"

लाल बहादुर शास्त्री

5.1 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI)

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) एक शीर्ष संगठन है जो देश में समस्त सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है । इसकी स्थापना वर्ष 1929 में अखिल भारतीय सहकारी संस्थान संघ के रूप में की गई और इसे भारतीय प्रादेशिक सहकारी बैंक संघ के अखिल भारतीय सहकारी संस्थान के साथ विलय कर के भारतीय सहकारी संघ के रूप में पुनर्गठित किया गया और बाद में वर्ष 1961 में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के रूप में किया गया । तब से एनसीयूआई देश में सहकारी आंदोलन के पथप्रदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है ।

माननीय केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री जी द्वारा एनसीयूआई परिसर, दिल्ली में 'सहकार मेले' का उद्‌घाटन किया गया

NCUI के मुख्य उद्देश्य सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यकर्मों के माध्यम से भारत में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और आगे बढ़ाना, अनुसंधान करना, साहित्य तथा श्रव्य दृश्य का प्रकाशन, मीडिया के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सहकारिता की उपलब्धियों का प्रसार, सहकारिता के विभिन्न सेक्टरों के संबंध मे सूचना का रख रखाव, विभिन राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय मंचों पर सहकारी

नीति और विधान के मामलों मे राय व्यक्त करना, ICA और अन्य अंतर राष्ट्रीय सहकारी विकास अभिकरणों के मध्ययम से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संबंधों को बढ़ाना है। चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन करने और सहकारी उत्पादों के संवर्धन और विपणन को सुगम बना कर, और सहकारी आंदोलन को सशकत बनाने के लिए परामर्शी और सलाह प्रकाशन सेवायें देकर भविष्य का रोड मैप तैयार करने के लिए एनसीयूआई द्वारा सरकारी , राज्य सहकारी संघों, बहु राज्य सहकारी समितियों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम किया जाता है ।

एनसीयूआई की सदस्यता राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सहकरी संघठनों और बहु राज्य सहकरी समितियों के लिए खुली हुई है । 31 मार्च 2023 के अनुसार एनसीयूआई के 17 राष्ट्रीय, 160 राज्य और 114 बहु राज्य सहकरी समितियों सहित 291 सदस्य है ।

एनसीयूआई ने नई दिल्ली में महिला कोपेरेटरों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया

5.1.1 राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र के माध्यम से सदस्यों, पदधारियों और गैर सरकारी सदस्यों सहित कार्मिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण

सहकारी आंदोलन में प्रैक्टिशनरों हेतु सुव्यवस्थित सहकारी शिक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए वर्ष 1958 में स्थापित एनसीसीई अखिल भारतीय सहकारी अनुदेशक केंद्र के रूप में अस्तित्व में आया और इसने अपने कार्यों को प्रशिकों के क्षमता निर्माण से सदस्य शिक्षा कार्यक्रम तक और एक ऐसी संस्था के रूप में विस्तार किया जो प्राथमिक, जिला और राष्ट्रीय स्तरों के सहकारी संगठनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को डिजाइन और कार्यान्वित कर रही है। यह केंद्र कई प्रकार की प्रशिक्षण सेवाएं और प्रमाणन एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सहकारी शिक्षा एवं विकास, सहकारी विधानों, लेखांकन पद्धतियों एवं अन्य विषयों जिनकी भारत और सार्क देशों में सहकारी समितियों के सदस्यों और स्टाफ के क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण के लिए जरूरत हैं, पर नेतृत्व

विकास और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीसीई ने 196 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमे 5107 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

5.1.2 उद्यमिता विकास एवं सहकारिता केंद्र (सीईडीसी) के माध्यम से सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन

एनसीयूआइ ने अपने अधिक व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के विज़न और लक्ष्यों के अनुरूप अनुसंधान कार्य और परामर्शी कार्य करने, हितधारकों के साथ संबंध बनाने और निचले स्तर पर कार्यों के निष्पादन एवं अन्य कार्यकलापों के लिए वर्ष 2022 में सीईडीसी की स्थापना की।

एनसीयूआई परिसर, दिल्ली में कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर

5.1.3 सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित क्षेत्रों/राज्यों में सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को निचले स्तर तक ले जाकर उसका सशक्तिकरण

सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित क्षेत्रो/ राज्यों में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए और विकास के स्तर में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए भारत सरकार ने परियोजना क्षेत्रों में सहकारी समितियों के संवर्धन एवं विकास और उनके माध्यम से किसान सदस्यों की उत्पादकता बढ़ाने और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं में सुधार के लिए सहकारिता मंत्रालय की कृषि एवं सहकारिता हेतु केन्द्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना (CSISAC) के अंतर्गत

एनसीयूआई के लिए सहकारी शिक्षा की एक योजना अनुमोदित की। एनसीयूआई द्वारा 34 सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं और इनके साथ ही महिला परियोजनाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं के माध्यम से सहकारी शिक्षा के गहनीकरण के लिए CSISAC योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

शैक्षिक व विकास कार्यकलापों, सामाजिक-विकासात्मक कार्यकलापों और महिला सशक्तिकरण एवं कौशल विकास/तकनीकी मार्गदर्शन पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारी विकास के गहन प्रयास क्षेत्र परियोजनाओं के मुख्य घटक हैं। परियोजना समितियों के पदाधिकारियों और सदस्यों को व्यावसायिक विकास योजनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी, प्रचालन प्रबंधन और इसके मूल्यांकन के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए प्रेरित और शिक्षित किया जाता है। माइक्रो क्रेडिट और सतत आय सृजन करने वाले कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना कर्मियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया जाता है और सभी शैक्षिक, कृषि मार्गदर्शन और विकासात्मक कार्यकलापों को परियोजनाओं द्वारा उनके समग्र विकास के लिए अपनाई गई पैक्स/लैम्प्स की व्यावसायिक विकास योजनाओं के साथ जोड़ा जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान 17,704 सहकारी कार्यक्रम आयोजित किए जिन में 2,34,407 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

5.1.4 अनुसंधान एवं अध्ययन

NCUI ने निम्नलिखित 5 अनुसंधान और अध्ययन कार्य किए जो सहकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपे गए थे:

i. राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारी कानूनों का मिलान
ii. सहकारी क्षेत्र और इसकी तुलना में अन्य व्यवसाय संस्थाओं की तुलना में लाभों एवं हानीयों को समझना
iii. सहकारी क्षेत्र के लाभ के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार योजनाओं का संकलन
iv. भारत में बहु-राज्य सहकारी समितियों की प्रोफाइल
v. भारत में 117 कनिष्ठ सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों का गहराई से मूल्यांकन

एनसीयूआई रिसर्च टीम दो अन्य अनुसंधान अध्ययनों पर भी काम कर रही है जैसा की सहकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपे गए हैं नामतः सहकारी क्षेत्र पर कोविड का प्रभाव और सहकारी समितियों के लिए कार्य करने की सुगमता।

5.2 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड (NCDFI)

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड (एनसीडीएफआइ), जो आनंद, गुजरात में स्थित है, डेयरी क्षेत्र सहकारी समितियों के लिए एक शीर्ष संगठन है । इसके सदस्यों में राज्यों और संघ राज्यों की फेडरल डेयरी सहकारी समितियाँ शामिल हैं । एनसीडीएफआइ का मुख्य उद्देश्य समन्वय, नेटवर्किंग और सलाह के माध्यम से डेयरी सहकारी समितियों के कार्यकरण को सुगम बनाना है । भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड (एनसीडीएफआई) को 07 दिसंबर, 1970 को बॉम्बे सहकारी समिति अधिनियम (1925 का VII) के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसे नई दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक विस्तारित किया गया था।

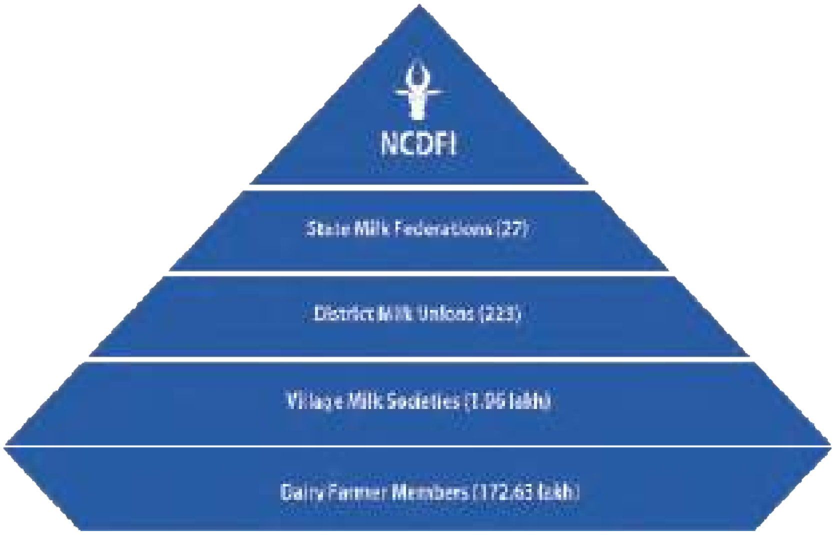

गंगटोक में सहकारिता डेयरी सम्मेलन में एनसीडीएफआई के अध्यक्ष ने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का स्वागत किया

तथापि इसने वर्ष 1984 से ही सहकारी डेयरी उद्योग के एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करना शुरू किया। दिसम्बर, 1986 में स्थानिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए NCDFI ने अपना मुख्यालय दिल्ली से बदल कर आनंद कर लिया जो भारत की दुग्ध राजधानी है। अप्रैल, 1987 में NCDFI की उपविधियों में संशोधन किया गया ताकि इसे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत लाया जा सके।

NCDFI में 19 नियमित सदस्य, 13 सह सदस्य और इसके संस्थागत सदस्य के रूप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड हैं। एनसीडीएफआई को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ पंजीकृत किया गया:

(i) सहकारी तर्ज पर डेयरी और तिलहन, सब्जी/खाद्य तेल और वनस्पति उद्योगों और अन्य वस्तुओं को बढ़ावा देना; और

(ii) डेयरी और तिलहन उत्पादकों की सहकारी समितियों और वस्तुओं से संबंधित संबद्ध संगठनों के कामकाज का समन्वय, सहायता, विकास और सुविधा प्रदान करना।

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 दिसंबर 2021 को अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का दौरा किया

वर्ष 2022-23 में एनसीडीएफआई की उपलब्धियां:

(i) NCDFI ने 10 अप्रैल, 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर ई-मार्केट

समारोह का आयोजन किया गया जिसमें 28 सर्वोत्तम कार्य करने वाली सहकारी समितियों को सोसाइटी में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया ।

(ii) NCDFI ने स्थानीय समुदायों के व्यापक लाभ के लिए पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने के लिए गैंगटॉक में सहकारी डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया ।

5.3 सहकारी चीनी मिलों की राष्ट्रीय फेडरेशन लिमि. (NFCSF)

सहकारी चीनी मिलों की राष्ट्रीय फेडरेशन लिमि. (NFCSF) को एक बहु एकक सहकारी समिति के रूप में 2 दिसम्बर, 1960 को बॉम्बे सहकारी समिति अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक बढ़ाया गया था। वर्ष 1972 में इसे दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के तहत और बाद में बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत समझा गया । वर्ष 2002 से NFCSF को बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत समझा गया है । देश भर में सभी सहकारी चीनी मिलें और राज्य सहकारी चीनी परिसंघ इसके सदस्य हैं ।

NFCSF की स्थापना उस समय की गई जब केवल 30 सहकारी चीनी मिलें थी जो कुल चीनी उत्पादन का 14.9 प्रतिशत उत्पादन था। NFCSF के मार्गदर्शन में मौजूदा सहकारी चीनी मिलों की क्षमता बढाई गई, नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित की गयी, प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन और गन्ने वसूली प्रतिशत बढाया गया जिसके फलस्वरूप चीनी का उत्पादन बढा । आज सहकारी क्षेत्र के चीनी उदद्योग, चीनी के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत योगदान करता है।

NFCSF में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ मंचों जैसे कृषि मंत्रालय, खाद्य, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत, उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व है । भारतीय चीनी उद्योग, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में अधिक प्रगति के पीछे NFCSF वर्ष 1977 में सृजित किये गये तकनीकी प्रकोष्ठ के माध्यम से अहम भूमिका में है । इसने लगभग 130 नई चीनी मिलों जिनकी क्षमता 1250 टन गन्ना प्रति दिन (TCD) से 10,000 TCD है और 70 मौजुदा मिलों को उनकी प्रौद्योगिकी उन्नयन, विस्तार, आधुनिकरण, पुनर्वास परियोजनाओं और गन्ना विकास कार्यकलापों आदि के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करायी । वर्तमान में NFCSF के 267 सदस्य हैं ।

सार रूप में , NFCSF का मुख्य उद्देश्य भारत में गन्ना उत्पादकों के आर्थिक कल्याण की ओर है।भारत, नेपाल, श्रीलंका, कीनिया, इथोपिया, मेडागास्कर, घाना, सुडान आदि की कई चीनी मिलों ने अपने आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विस्तार, प्रक्रिया कुशलता और ऊर्जा संरक्षण आदि में NFCSF के तत्वाधान में अग्रिम स्थान प्राप्त किया है ।

वर्ष 2022-23 में प्रमुख घटनाक्रम:

(i) सहकारी चीनी मिलों को राहत: सहकारी चीनी मिलों को उचित और मुनासिब या राज्य के सुझाए गये मूल्य तक किसानों को अधिक गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए अतिरिक्त आय कर नहीं देना होगा ।

(ii) सहकारी चीनी मिलों के पुराने लम्बित मामलों का समाधान: मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को उनके भुगतानों के व्यय के रूप में दावे प्रस्तुत करने के लिए सहकारी चीनी समितियों को अनुमति देने की केन्द्रीय बजट वर्ष 2023-24 में घोषणा किये जाने से लगभग 10,000 करोड़ रूपये की राहत दी गई ।

5.4 राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की फेडरेशन लिमि. (NAFCARD)

भारत में दीर्घावधि सहकारी क्रेडिट संरचना (LTCCS) के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना वर्ष 1960 में राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की फेडरेशन लिमि. (NAFCARD) की स्थापना करना रहा है । अपनी स्थापना से ले कर, यह फेडरेशन इस क्षेत्र में संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । इसने एक प्रभावी समन्वय स्थापित किया है और सदस्य बैंकों के बीच समझ बढ़ी है तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, नाबार्ड एवं SCARDBs की वित्तपोषण एजेंसियों के साथ संपर्क किया है ।

केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों की स्थापना लगभग सभी राज्यों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई जिन्हें राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कहा गया और 80 के दशक में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में विविधीकरण के साथ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से पुनर्नामित किया गया । भारतीय कृषि के विकास में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का योगदान स्वतंत्रता पश्चात के समय में बहुत महत्वपूर्ण रहा है । ARDBs ने विशेष कर लघु सिंचाई के विकास और 60 एवं 70 के दशक में कृषि के मशीनीकरण के माध्यम से भूमि की उत्पादकता को बढाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बढावा देने के साथ-साथ इन बैाकों ने 80 और 90 के दशक में एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र परियोजनाओं का वित्तपोषण आरंभ किया जिससे

ग्रामीण परिवारों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ मूल्य संवर्धन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उनकी आय बढाने में मदद मिली । ARDBs वर्ष 1980-90 तक कृषि के लिए निवेश ऋण उपलब्ध कराने में आगे रहे ।

5.5 राज्य सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय फेडरेशन लिमि. (NAFSCOB)

NAFSCOB की उत्पत्ति वर्ष 1962 में हुई महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक की वार्षिक आम बैठक के ऐतिहासिक विचार-विमर्श में निहित है जिसकी अध्यक्षता बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ डी. आर. गाडगिल द्वारा की गई और जो राज्य सहकारी बैंकों के कार्यों, सहकारी ऋण के भावी विकास और शीर्ष सहकारी बैंकों की भूमिका के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित थी । इससे जानेमाने को-ऑपरेटर्स जैसे मगन भाई आर पटेल, गुजरात राज्य सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष को उपर्युक्त मुद्दों के समाधान हेतु एक फेडरेशन की स्थापना की संभावना को तलाशने की प्रेरणा मिली । इसके फलस्वरूप इस फेडरेशन को महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत 19 मई, 1964 को 'अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक फेडरेशन' (ASCOF) के रूप में पंजीकृत किया गया । इसके बाद ASCOF को अन्य राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की तर्ज पर 20 दिसम्बर, 1978 को राज्य सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय फेडरेशन के रूप में पुनर्नामित किया गया । NAFSCOB को बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम (संशोधन) 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया गया है ।

माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी ने दिल्ली में NAFSCOB राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

NAFSCOB सदस्य बैंकों को उनके कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उनके हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए कार्य करता है । मार्च, 2023 के अंत तक 34 राज्य सहकारी बैंक हैं जिनमें से 33 राज्य सहकारी बैंक जिनकी 2000 शाखाएं हैं,और 351 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक NAFSCOB के सदस्य हैं । NAFSCOB के कार्यकलापों में शामिल हैं :

क. समय-समय पर कृषि और ग्रामीण ऋण में प्रासंगिक अनुसंधान अध्ययन करना और उचित रणनीतियों का सुझाव देना।

ख. 1965 में विकसित 'अखिल भारतीय पारस्परिक व्यवस्था योजना' (AIMAS) को लागू करना।

ग. सदस्य बैंकों के लाभ के लिए परियोजनाओं की पहचान करना, उन्हें तैयार करना और पहचान की गई परियोजनाओं का मूल्यांकन करना।

घ. सहकारी समितियों को अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकालय सह प्रलेखन केन्द्र का निर्माण करना ।

ड. NAFSCOB की गृह पत्रिका 'ग्रामीण सहकारी ऋण और बैंकिंग से संबंधित NAFSCOB पत्रिका' के माध्यम से बैंकिंग कार्य पद्धतियों, बैकिंग संबंधी प्रौद्योगिकी, विभिन्न नियामक प्राधिकारियों की नीतियों और निर्णयों और सहकारी ऋण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर नवीनतम विकासों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार।

च. सदस्य बैंकों के संवर्धन, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कोई अन्य कार्यकलाप करना।

5.6 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमि. (NCCF)

NCCF की स्थापना देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 1965 को की गई । यह बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है । यह देश के विभिन्न भागों में स्थित 24 शाखा कार्यालयों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करती है । NCCF अनिवार्य वस्तुओं की खरीद और वितरण के कार्य में लगी हुई है । NCCF के मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता वस्तुएं उचित और वहनीय दामों पर वितरण के लिए राज्य एजेंसियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों और अन्य राज्य एजेंसियों को आपूर्ति करने में सहायता करना है और साथ ही भारत में उपभोक्ता सहकारी समितियों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराना भी है ।

उत्तर प्रदेश में NCCF गेहूँ खरीद केन्द्र

NCCF के कार्यकलाप/ गतिविधियां निम्नवत हैं:

- घरेलू सामान का विपणन (कृषि आधारित वस्तुएं)
- सिविल निर्माण कार्य और अवसंरचना विकास
- सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं
- निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात/ निर्यात
- जब्त किया गया सामान
- सब्सिडी वाली दालों की बिक्री
- कपड़ों का विपड़न
- पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और असम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान/ गेहूँ की खरीद
- कृषि-इनपुट्स का विपणन
- अध्यक्ष/ निदेशक मण्डल/ भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्य

5.7 अखिल भारतीय हैंडलूम फैबरिक विपणन सहकारी समिति लिमि.

अखिल भारतीय हैंडलूम फैबरिक विपणन सहकारी समिति देश के 23 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के हैंडलूम बुनकर सहकारी समितियों की एक राष्ट्रीय फेडरेशन है । इस राष्ट्रीय समिति की स्थापना वर्ष 1956 में की गई और देश के गरीब बुनकरों द्वारा उत्पादित

हैंडलूम वस्तुओं के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए इसे भारत सरकार से सहायता और प्रायोजन भी मिला हुआ है । तदअनुसार, यह समिति विगत 66 वर्षों से और अब अपने खुदरा केन्द्रों और निर्यात के माध्यम से देश के गरीब हैंडलूम बुनकरों/ शिल्पकारों के कल्याण के लिए काम कर रही है ।

हैदराबाद में अखिल भारतीय हैंडलूम फैबरिक विपणन सहकारी समिति का एक बिक्री केन्द्र

अखिल भारतीय हैंडलूम फैबरिक विपणन सहकारी समिति लिमि. 19 मार्च, 1956 को तत्कालीन बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 के तहत मूलत: पंजीकृत की गई । इसके पश्चात एक केन्द्रीय अधिनियम (बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984) के साथ ही यह समिति 1984 के उक्त अधिनियम के अंतर्गत लाई गई और वर्ष 2002 के दौरान एवं उक्त अधिनियम की अनुसूची -II के तहत इस समिति को देश में 19 राष्ट्रीय सहकारी समितियों में से एक समिति के रूप में वर्गीकृत किया गया । इस प्रकार यह समिति वर्ष 2002 से बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत कार्य कर रही है । इस समिति का मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य हमारे देश के गरीब बुनकरों और शिल्पकारों को उनकी निर्मित वस्तुओं के सतत विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराना है और इस प्रकार उन्हें आजीविका देना है ।

इसमें सदस्यों के रूप में संपूर्ण भारत से 23 शीर्ष समितियां और 1044 प्राथमिक सदस्य हैंडलूम सहकारी समितियां और 32 सरकारी स्वामित्व वाले/ नियंत्रित संगठन हैं । इस प्रकार इस समिति में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों से लगभग 5.50 लाख व्यक्तिगत बुनकरों को

सहायता दी जा रही है । इस समिति के खुदरा शोरूमों को 'हैंडलूम हाउस' के रूप में जाना जाता है जिनकी स्थापना देश के महत्वपूर्ण शहरों में खुदरा बिक्री के लिए की गई है। निर्यात से संबंधित कार्य नोएडा और चेन्नई में स्थित हमारे निर्यात विभागों के माध्यम से किया जा रहा है ।

5.8 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवासन परिसंघ (NCHF)

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवासन परिसंघ (NCHF) की स्थापना सहकारी आवासन क्षेत्र के एक शीर्ष संगठन के रूप में वर्ष 1969 में की गई ।यह एक संवर्धनात्मक स्वायत्त निकाय है जिसका पंजीकरण बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में किया गया और इसका प्रबंधन एक चुने गये निदेशक मण्डल में निहित है । NCHF के सदस्यों में 25 राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवासन परिसंघ (ACHFs) शामिल हैं । ये ACHFs अपने संबंधित राज्यों में सहकारी आवासन क्षेत्र के लिए केन्द्रीय वित्तपोषण एजेंसियों के रूप में कार्य कर रही हैं । देश में लगभग 28,200 प्राथमिक आवासन सहकारी समितियां ACHFs की सदस्य हैं । अन्य बातों के साथ-साथ NCHF अपने सदस्य ACHFs को वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं जैसे एलआईसी, एनएचबी, हुडको, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से निधियों के प्रवाह को सुगम करने के काम में लगा हुआ है ।

माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा जी, 69वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह, सहकारी मेला, 2022 में सहभागिता करते हुए

NCHF के प्रमुख उद्देश्य और व्यापक कार्य हैं: (i) सदस्य ACHFs और आवासन सहकारी समितियों को उन्हें उनके सदस्यों को वहनीय मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने में सक्षम करने के लिए

उनके कार्यों का संवर्धन, समन्वय और सहायता करना; (ii) आवासन सहकारी समितियों की समस्याओं की जांच करने और संबंधित मामलों पर सदस्य ACHFs को एक साझा मंच उपलब्ध कराना; (iii) ACHFs का संवर्धन/ सशक्तिकरण और उन्हें विभिन्न फंडिंग एजेंसियों से ऋण लेने में मदद करना; (iv) केन्द्रीय/ राज्य सरकारों, आवासन सहकारी समितियों, फंडिंग संगठनों और अन्य संबंधित संगठनों के साथ समन्वय और संपर्क; (v) सहकारी आवासन आंदोलन का प्रचार और संवर्धन और इस उद्देश्य के लिए सम सामयिक पत्र-पत्रिकाओं, न्यूज बुलेटिन और पत्रिकाओं का प्रकाशन, सहकारी आवासन से संबंधित सांख्यिकी और सूचना का आदान-प्रदान करना; (vi) सहकारी आवासन और संबंधित मामलों पर सूचना के संकलन और प्रसार के साथ-साथ सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन और अनुसंधान कार्य करना; (vii) सहकारी समितियों के सदस्यों, निदेशकों, कार्मिकों के लिए सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना; और (viii) विभिन्न आपदाओं से अपनी संपत्तियों के सामान्य बीमा के संबंध में आवासन सहकारी समितियों का मार्गदर्शन करना।

NCHF ने उचित ब्याज दरों पर आवासन सहकारी समितियों को निधियों का प्रवाह बढानें के लिए कई पहलें की हैं । इन ACHFs ने अब तक संचयी रूप से 11,940 करोड़ रूपये की राशि एकत्र की है और देश में 24.69 लाख आवास यूनिटों के निर्माण या वित्त पोषण के लिए अपनी संबंधित प्राथमिक आवासन सहकारी समितियों को और व्यक्तियों को 13,532 करोड़ रूपये के आवासन ऋण वितरित किये हैं ।

5.9 नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑप. बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB)

नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑप. बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB), जिसका पजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, उन 1514 शहरी सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय स्तर की एडवोकेसी और संवर्धनात्मक निकाय है जिनकी 11000 शाखएं और 50,000 से अधिक सहकारी ऋण समितियां हैं । इस फेडरेशन का उद्देश्य शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र को एक साझा मंच उपलब्ध कराना और उपयुक्त समाधानों हेतु विनियामकों के समक्ष रखने की व्यवस्था करना है ।

वर्ष 1977 से NAFCUB ने सहकारी बैकिंग क्षेत्र और साथ ही ऋण सहकारी समितियों के हित को आगे बढाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किये हैं । इसने शहरी सहकारी बैंको को अनुसूचित दर्जा दिलाने, भारतीय रिजर्व बैंक में स्थायी सलाहकार समिति बनाने, ब्रांच लाइसेंसिंग नीति के उदारीकरण के लिए मराठे समिति, शहरी सहकारी बैंकों के लिए विजन दस्तावेज तैयार करने और परामर्शी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने, विजन दस्तावेज की स्वीकार्यता जिससे शहरी सीकारी बैंकों के लिए

विभिन्न प्रूडेंशियल मानदण्डों का मार्ग प्रशस्त हुआ, अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों के शैक्षिक विलयन को प्रोत्साहित करने के लिए TAFCUB के गठन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। NAFCUB ने विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों में भी प्रतिनिधित्व किया जिसमें आरबीआई की विश्वनाथन समिति भी शामिल है जिसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के गठन की अनुशंसा की। इसके अलावा NAFCUB द्वारा शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए विशेषीकृत क्षेत्रों में संगोष्ठीयों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह साप्ताहिक न्यूज लेटर 'कॉप बैंकिंग' और एक तिमाही पत्रिका 'अर्बन क्रेडिट' का प्रकाशन करता है। NAFCUB ने सहकारिता बैकिंग केक्षेत्र में अनुसंधान को बढावा दिया है। इसने माधवपुरा बैंक संकट को रोकने के लिए योजना बनाने और उसके कार्यान्वर्यन में एक केन्द्रीय भूमिका निभाई।

NAFCUB के अध्यक्ष ने दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी को बधाई दी

2022-23 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा टियर-I शहरी विकास बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये और टियर-2 शहरी विकास बैंकों के लिए 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 140 लाख रुपये कर दिया गया है।

- गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को पात्रता मानदण्डों को पूरा करने की शर्त पर

CGTMSE के सदस्य ऋण दात्री संस्थाओं (MLIs) के रूप में शामिल किया गया है।

5.10 इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO)

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसे इफको के नाम से भी जाना जाता है, एक बहु-राज्य सहकारी समिति है। सोसाइटी उर्वरकों के विनिर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। इफको का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह 1967 में केवल 57 सहकारी समितियों के साथ शुरू हुआ और वर्तमान में लगभग 35,000 भारतीय सहकारी समितियों का एकीकरण है, जिसमें बीमा उत्पादों, ग्रामीण दूरसंचार, इसके मुख्य उर्वरक उत्पादन और बिक्री क्षेत्र सहित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक हितों के साथ 5 करोड़ से अधिक भारतीय किसान हैं।

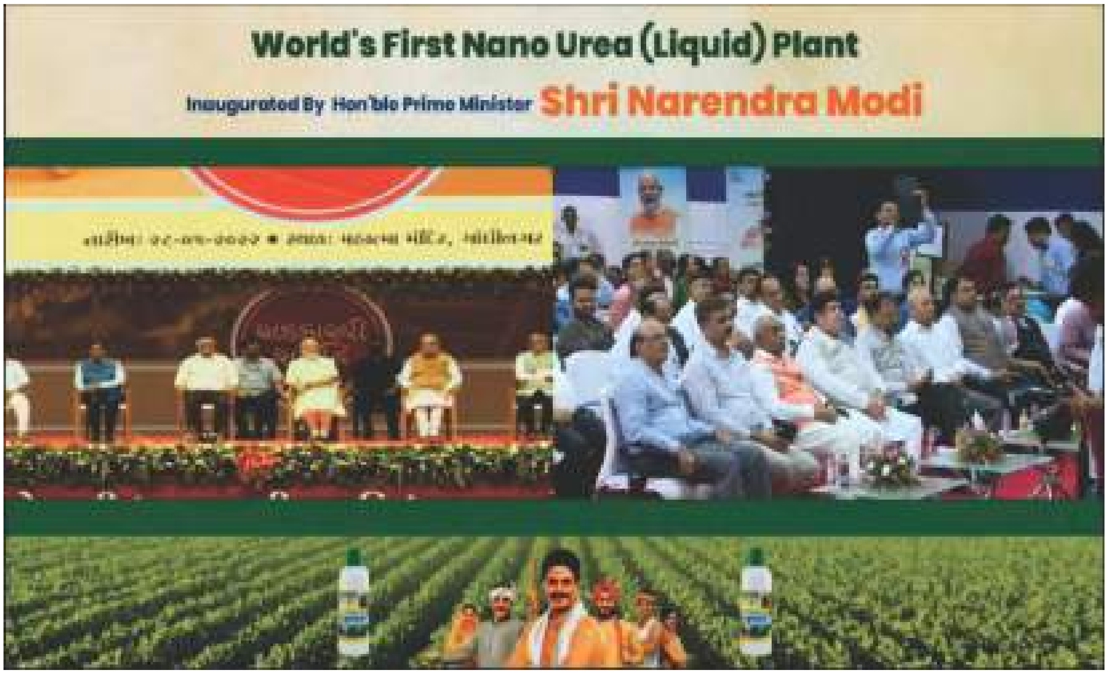

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी 28 मई, 2022 को कलोल, गांधीनगर, गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्‌घाटन करते हुए

एक संगठन के रूप में, इफको कई वर्षों से स्थायी व्यापार प्रथाओं का अभ्यास कर रहा है। इसने स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन किया है और सभी संयंत्रों और टाउनशिप में सौर रूफटॉप बिजली संयंत्र स्थापित किए हैं। इसके सभी टाउनशिप और पौधों के आसपास आकर्षक परिदृश्य बनाए रखने के लिए एक सचेत प्रयास किया गया है। स्थिरता की दिशा में प्रयास गतिविधियों की एक अटूट श्रृंखला होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति को हमेशा दृढ़ता की आवश्यकता होती है और पुरस्कार मिलता है। जमीनी स्तर पर निकटता से काम करने वाले संगठन के रूप में, इफको धरती माता को संरक्षित करने की तात्कालिकता को समझता है। यह 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के

लिए भारत की प्रतिज्ञा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से अवगत है। इफको लंबे समय से उर्वरकों के संतुलित उपयोग की वकालत कर रहा है। यह किसानों, ग्राम समुदायों और अपने कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। मृदा बचाओ अभियान, जो टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से मिट्टी के कायाकल्प पर केंद्रित है, पारिस्थितिक संतुलन के प्रति इफको की निष्ठा को प्रमाणित करता है।

यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में वनीकरण का लगातार प्रयास कर रहा है। नैनो यूरिया और जैव-उर्वरकों का विकास पर्यावरण के संरक्षण के अपने मूल दर्शन के साथ संरेखित है। स्थिरता पर कोई भी काम सक्षम प्रणालियों और रूपरेखाओं में निवेश किए बिना अधूरा है जो क्षमता निर्माण, बेहतर प्रथाओं के लिए व्यवहार परिवर्तन और लिंग समानता की अनुमति देते हैं। 44 साल पहले, इफको ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (CORDET) की स्थापना की थी। पिछले साल 47 हजार लोगों ने सामाजिक विकास, वृक्षारोपण, मृदा परीक्षण अभियान, पशु आहार की आपूर्ति, मनुष्यों और पशुधन के लिए स्वास्थ्य शिविरों की गतिविधियों से लाभ उठाया। इफको का एक अन्य सहयोगी संगठन, आईएफएफडीसी, ग्रामीण गरीबों, आदिवासी समुदायों और विशेष रूप से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में काम कर रहा है। यह खुशी की बात है कि आईएफएफडीसी की कुल सदस्यता में महिलाओं की संख्या 32 प्रतिशत है।

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

(i) विश्व के पहले नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा कलोल, गांधीनगर, गुजरात में 28 मई, 2022 को किया गया।

(ii) 4 फरवरी, 2023 को देवघर, झारखंड में इफको नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र की आधारशिला।

5.11 कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको)

कृभको भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति है जो उर्वरक उत्पादन और वितरण में लगी हुई है और बहु राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है। कृभको की स्थापना अप्रैल 1980 में सहकारी समितियों और संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आदानों, मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन और वितरण करने के लिए की गई थी। कृभको की चुकता शेयर पूंजी में देश भर की 9478 सहकारी समितियों का योगदान है।

कृभको राष्ट्र की बेहतर सेवा के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए अपने सहकारी दर्शन और विरासत को बनाए रखने में विश्वास करता है। कृभको गुजरात राज्य के हजीरा क्षेत्र में सूरत से 15 किमी दूर ताप्ती नदी के तट पर स्थापित होने वाले पहले संयंत्रों में से एक था, जो सहकारी क्षेत्र में एक अग्रणी उर्वरक खिलाड़ी है।

कृभको की उत्पादन सुविधा हजीरा, गुजरात में स्थित है और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (KFL) उत्पादन सुविधा शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कृभको के संयुक्त उद्यम ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी SOAC (ओमिफ्को) की उत्पादन सुविधा एसयूआर, ओमान में है। उर्वरकों के उत्पादन के अलावा, सोसाइटी डीएपी, एनपीके, एमओपी आदि जैसे थोक उर्वरकों के व्यापार और वितरण में भी लगी हुई है।

कृभको के उत्पाद अम्ब्रेला में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, एसएसपी, ज़िंक सल्फेट, जैव उर्वरक, प्रमाणित बीज, खाद, संकर बीज, बीटी कपास आदि शामिल हैं। कृभको सहकारी समितियों और निजी खुदरा दोनों में अपने चैनल भागीदारों के माध्यम से इन उत्पादों का वितरण करता है। यह अपने स्वयं के आउटलेट के माध्यम से उत्पादों की आपूर्ति भी करता है, जिसे आमतौर पर कृषि विकास शिल्प केंद्र (KBSK) के रूप में जाना जाता है।

माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी ने 14 सितंबर 2022 को हजीरा में कृभको के इस बायो-इथेनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी।

भारत वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की उच्च कीमत से प्रभावित है। हमारे दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री ने बायोफ्युल मिश्रित पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ इस जैव ईंधन को मिलाने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम शुरू किया जो अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर राष्ट्र की निर्भरता को कम करेगा। कृभको ने इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए पहल की और तीन जैव-इथेनॉल परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) कृभको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया और जिनमें से पहला हजीरा, सूरत में है। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी ने 14 सितंबर 2022 को इस बायो-इथेनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी।

5.12 भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED)

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) की स्थापना 2 अक्टूबर, 1958 को गांधी जयंती के शुभ दिन पर 1925 के बॉम्बे सहकारी समिति अधिनियम (vii) के तहत की गई थी और अब इसे बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत माना जाता है। NAFED का मिशन किसानों के लाभ के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है।

वर्तमान में, नैफेड में 978 सदस्य हैं जिनमें शीर्ष और राज्य स्तरीय विपणन संघ, राज्य स्तरीय जनजातीय और कमोडिटी फेडरेशन, प्राथमिक विपणन / प्रसंस्करण समितियां और NCCF और अन्य राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संगठन शामिल हैं।

दिल्ली में नेफेड बाजार का एक आउटलेट

NAFED का उद्देश्य कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित करना, बढ़ावा देना और विकसित करना है; कृषि मशीनरी, उपकरण और अन्य आदानों का वितरण; अंतर-राज्यीय, आयात और निर्यात व्यापार, थोक या खुदरा, जैसा भी मामला हो और भारत में अपने सदस्यों, भागीदारों, सहयोगियों और सहकारी विपणन, प्रसंस्करण और आपूर्ति समितियों के प्रचार और कामकाज के लिए कृषि उत्पादन में तकनीकी सलाह प्रदान करना। NAFED मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत MSP पर दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसियों में से एक है। NAFED मूल्य स्थिरीकरण निधि (PSF) योजना के तहत दालों और प्याज की खरीद के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसियों में से एक है और भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय बफर के निर्माण के माध्यम से प्याज और दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NAFED सेना और CPMF तथा फोर्टिफाइड चावल कर्नेल, खाद्य तेल, चीनी, नमक, दलिया, सूखा राशन आदि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों/केन्द्रीय एजेंसियों की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति सहित केन्द्रीय/राज्य कल्याण स्कीम के लिए प्रसंस्कृत मिल्ड/उन्नत दालों की आपूर्ति भी करता है।

NAFED भारत में कृषि वस्तुओं के लिए सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है। फेडरेशन किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहा है और उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा कर रहा है। घाटे में चल रही सहकारी संस्था से 360 डिग्री के बदलाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण, NAFED राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के मिशन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है और 130 करोड़ आबादी को खिलाने में सहायता कर रहा है, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। NAFED न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर के अविकसित देशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई मानवीय प्रतिबद्धता को पूरा करने में सबसे आगे रहा है। जब कभी देश में या विश्व में कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भारत सरकार खाद्यान्नों सहित आपातकालीन राहत सामग्री भेजती है जिसे नैफेड सरकार के निर्देशों के अनुसार लगन पूर्वक निष्पादित/कार्यान्वित करता है।

5.13 ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TRIFED)

TRIFED की स्थापना अगस्त 1987 में भारत सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत भारत के तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर के सहकारी निकाय के रूप में की गई थी, जिसका मूल जनादेश उनके द्वारा एकत्र किए गए/खेती किए गए लघु वन उपज (MFP) और अधिशेष कृषि उपज (SAP) के व्यापार को संस्थागत बनाकर देश के आदिवासियों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना था। एक बाजार विकासकर्ता और सेवा प्रदाता के रूप में, TRIFED का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से देश

में जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है, जिस पर आदिवासियों का जीवन बहुत अधिक निर्भर करता है क्योंकि वे अपना अधिकांश समय बिताते हैं और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। इस दृष्टिकोण के पीछे का दर्शन आदिवासी लोगों को ज्ञान, उपकरण और जानकारी के पूल के साथ सशक्त बनाना है ताकि वे अपने कार्यों को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से कर सकें। इस दृष्टिकोण में संवेदीकरण के माध्यम से जनजातीय लोगों का क्षमता निर्माण, स्व-सहायता समूहों (SHGs) का गठन और उन्हें एक विशेष गतिविधि शुरू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विपणन की संभावनाओं का पता लगाना, स्थायी आधार पर जनजातीय उत्पादों के विपणन के अवसर पैदा करना और एक ब्रांड बनाना शामिल है। MFP और वनधन कार्यक्रम के लिए ट्राइफेड का MSP "अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार अधिनियम, 2006)" के अनुरूप है, जो गरीब आदिवासियों की सुरक्षा और आजीविका को सुरक्षित करने और भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर वन-निवास समुदायों के अधिकारों के साथ चिंताओं के लिए पारित एक प्रमुख वन कानून है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में 'आदि महोत्सव' 2023 का उद्घाटन किया

TRIFED प्राकृतिक उत्पादों से तैयार हस्तशिल्प और हथकरघा के विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने में लगा हुआ है। इसकी सभी गतिविधियों का उद्देश्य ऐसे अवसरों का सृजन करना और उन्हें नियमित आधार पर बनाए रखना है। जनजातीय कारीगरों को सूचीबद्ध करना और उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों की खरीद, आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने की मुख्य पहल है।

TRIFED के देश भर में 15 क्षेत्रीय कार्यालयों का एक नेटवर्क है जो ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के अपने खुदरा विपणन नेटवर्क के माध्यम से विपणन के लिए जनजातीय उत्पादों की पहचान और स्रोत करता है। ट्राईफेड देश भर में स्थित अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों और प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन कर रहा है। ट्राइफेड के देश भर में 15 क्षेत्रीय कार्यालयों का एक नेटवर्क है जो ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के अपने खुदरा विपणन नेटवर्क के माध्यम से विपणन के लिए जनजातीय उत्पादों की पहचान और स्रोत करता है। ट्राईफेड देश भर में स्थित अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों और प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन कर रहा है।

5.14 भारतीय राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लि. (NLCF)

भारतीय राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लिमिटेड (NLCF) वर्ष 1981 में स्थापित एक शीर्ष संगठन है, जो अब बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत काम कर रहा है। NLCF का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और जनजातियों सहित गरीब मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए श्रम सहकारी समितियों के कार्यकरण को संगठित, सहायता और विकसित करना है। देश में लगभग 47,239 श्रम संविदा/निर्माण एवं वन श्रम सहकारी समितियां अस्तित्व में हैं जिनमें 216 जिला और 19 राज्य स्तरीय परिसंघों की सदस्यता 2742 लाख सदस्य श्रमिक हैं। वर्तमान में NLCF में 413 सोसाइटियों/परिसंघों की सदस्यता है जिसमें प्राथमिक, जिला और राज्य परिसंघ शामिल हैं। NLCF की शेयर पूंजी 1.236 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2022-23 की उपलब्ध्यिां :

- दो महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करके NCDC के सेवा क्षेत्र के तहत श्रम सहकारी समितियों की शुरूआत।
- वित्तीय सहायता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत नाबार्ड के साथ श्रम सहकारी समितियों की शुरूआत।

- 19 नए राज्य स्तर, 77 जिला स्तर और 25,000 प्राथमिक श्रम समितियों की स्थापना की।

NLCF ने दिल्ली में महाराष्ट्र की वन श्रमिक सहकारी समिति के लिए नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

भविष्य की प्रचार योजना:

- श्रम सहकारी समितियों के दायरे में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की जनजातीय आबादी को शामिल करना।

5.15 नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (FISHCOPFED)

नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (FISHCOPFED) बहुराज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों का एक राष्ट्रीय स्तर का संघ है। यह भारतीय मत्स्य सहकारी आंदोलन की एक शीर्ष संस्था है। इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना और विकसित करना, मत्स्य सहकारी क्षेत्र के निर्माण और विस्तार के प्रयासों में मछुआरों को शिक्षित, मार्गदर्शन और सहायता करना है और सहकारी सिद्धांतों के अनुसार सहकारी राय के प्रतिपादक के रूप में कार्य करना है। यह 1980 में अखिल भारतीय मछुआरा सहकारी संघ के रूप में स्थापित किया गया था और 1982 में इसका नाम बदलकर नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड कर दिया गया था।

FISHCOPFED को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं और निधियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। वर्तमान में FISHCOPFED में 104 सदस्य हैं जिनमें राज्य और जिला स्तर के संघ शामिल हैं।

अध्याय 6

सहकारी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

"Founded on the principles of private initiative, entrepreneurship and self-employment, underpinned by the values of democracy, equality and solidarity, the co-operative movement can help pave the way to a more just and inclusive economic order"

Kofi Annan

सहकारिता का विचार मानव के लिए नया नहीं है । यह उतना ही प्राचीन है जितना मानव स्वयं है। वर्तमान में एक संगठन के रूप में सहकारी समितियों का विचार सार्वभौमिक है जो वास्तविक तौर पर पूरे देश में अलग अलग रूप में पाया जाता है। सहकारी समितियों का निर्माण निम्न-दर ऋण, खेती के उपकरण और घरेलू सामानों की आपूर्ति की खरीद, उत्पादों का विपणन, अनेक सेवाओं के लिए जैसे विद्युत, सिंचाईं, स्वास्थ्य और बीमा आदि के उद्देश्य से किया गया हैं। सहकारी समितियां नियमित जीवन जीने में भी अनेक प्रकार से लोगों को लाभ प्रदान करती हैं ।

सहकारिता का अर्थ है कि एक अकेला और गरीब मानव भी दूसरों के साथ जुड़ते हुए, अमीर और शक्तिशाली लोगों की तरह लाभ प्राप्त करे जिससे उनका भी विकास हो ये लाभ उन्हें भौतिक और नैतिक रूप से सशक्त करे । अन्य शब्दों में, सहकारिता एक व्यावसायिक संगठन है, जिसका स्वामी वह है जो उसकी सेवाओं का उपयोग करता है और जो सभी सदस्यों को समान रूप से अपनी सेवायें प्रदान करती हैं। यह स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक है और नैतिक तत्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक। इसके अलावा, यह सामाजिक, शैक्षिक और सामुदायिक मूल्यों को पहचानता है।

सहकारिता की अवधारणा को समझने के लिए उसके विशिष्ट उद्देश्यों को समझना आसान रहेगा। वे निम्नानुसार हो सकते हैं :

i) इनका उद्देश्य वस्तु और सेवायें प्रदान करना हैं।

ii) इनका उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य में से दलालों के अनावश्यक लाभ को हटाना हैं।

iii) इनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को शोषण से बचाना हैं।

iv) इनका उद्देश्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के रूप में समाज के लोगो के हितों की सुरक्षा करना हैं।

v) इनका उद्देश्य सामान्य रूप से अपने लोगों और सदस्यों के बीच पारस्परिक समझ और शिक्षा को बढ़ाना हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के श्री डब्ल्यू पी वाटकिंस सहकारिता को परिभाषित करते हैं: "एकता, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, इक्विटी और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है ।

6.1 अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, 19 अगस्त, 1895 को पहली सहकारिता काँग्रेस के दौरान लंदन, इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। इसमें उपस्थित प्रतिनिधि अर्जेन्टीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ़्रांस, जर्मनी, हॉलेन्ड, भारत, इटली, स्विट्ज़रलैंड, सर्बिया और अमेरिका से थे । प्रतिनिधियों ने सूचना प्रदान करने, सहकारी सिद्धांतों को परिभाषित करने और बचाव करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना की । अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन सहकारी पहचान के कथन – सहकारी आंदोलन के मूल्यों और सिद्धांतों का वैश्विक संरक्षक हैं।

सहकारी पहचान पर बयान में कहा गया है कि एक सहकारिता "संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है ।

सहकारी मूल्य: सहकारी समितियां स्व-सहायता, आत्म-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, इक्विटी और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित हैं । अपने संस्थापकों की परंपरा में, सहकारी सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल के नैतिक मूल्यों में विश्वास करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन पूरे विश्व की सहकारी समितियों को जोड़ता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें सेवाएं प्रदान करता है । यह सबसे प्राचीन गैर-सरकारी संगठनों में से एक है और प्रतिनिधित्व किए जाने वाले लोगों की संख्या के आधार पर सबसे बड़े संगठनों में से एक है जिसके **वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन सहकारी सदस्य है ।** यह सहकारी समितियों की सबसे मुख्य संस्था है, जो पूरे विश्व में 3 बिलियन के लगभग है, जो वैश्विक स्तर पर ज्ञान के रूप में एक आवाज प्रदान करती है, जो सहकारी समितियों को सहायता करना ओर विशेष ओर समन्वित दिशा प्रदान करती हैं। 107 देशों के 310 संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के सदस्य हैं । ICA के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय और

राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता, मात्स्यिकी, स्वास्थ्य, बीमा , हाउसिंग, और उद्यम और सेवा आदि।

इसकी गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक स्तर पर चार क्षेत्रीय कार्यालय है जो ब्रूसेल्स पर आधारित है (अफ्रीका, अमेरिका, एशिया पेसिफिक और यूरोप) आठ ग्लोबल सेक्टोरल संगठन (कृषि, बैंकिंग, रीटेल, मात्स्यिकी, स्वास्थ्य, बीमा , हाउसिंग और उद्योग एवं सेवाएँ) और पाँच समितियाँ और नेटवर्क (लैंगिक, अनुसंधान, विधि, युवा, विकास)

6.2 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

वर्ष 1919 में इसके अस्तित्व के बाद से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सहकारी समितियों की महत्ता की पहचान की और यह एक सामाजिक न्याय और रोजगार प्रदान करने वाला संगठन बना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन की सहकारी समितियाँ औपचारिक रूप में वर्ष 1920 से हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन ने वर्ष 2020 में अपनी शताब्दी पूर्ण की हैं। वर्तमान समय में सहकारी समितियों और व्यापक सामाजिक उधमता और एकजुटता पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठनों की गतिविधियां को उद्यम विभाग के तहत सहकारिता से प्रबंधित किया जाता हैं और सहकारिता के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता हैं । अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन सहकारी समितियों के विभिन्न घटकों, सहकारी समितियों और अन्य SSEEs के द्वारा तीन दीर्घकालीन रणनीति बनाकर की जाती हैं।

- सहकारी समितियों और SSEEs को एडवांस और अन्य जैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की जिम्मेदारी के तौर पर व्यक्तिगत रूप से जहां उनको सेवा प्रदान करने के लिए जो कि भविष्य के सतत विकास को ध्यान मे रखकर बनाई जाती हैं, इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं ;

- सहकारी समितियों और अन्य एसएसईई के विकास और उनसे संबंधित नीतियों पर काम करने में सहकारी आंदोलन के एजेंडे में प्राथमिकता के रूप में सभ्य कार्य के एकीकरण को प्रोत्साहित करना; और

- यह सुनिश्चित करना कि सहकारी समितियों की विशिष्टताओं, व्यक्तियों के संघों के रूप में और व्यावसायिक उद्यमों के रूप में, और एसएसईई को सभ्य कार्य और एक स्थायी भविष्य प्राप्त करने की दिशा में विश्लेषण, नीति और कार्यों में मान्यता प्राप्त है।

निम्नलिखित छह परिचालन क्षेत्र हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है:

- कानूनी और नीतिगत सलाह प्रदान करना
- विकास में सहयोग को बढ़ाना
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का उन्नयन
- अनुसंधान और ज्ञान सृजन के प्रयासों को सुदृढ करना
- साझेदारी को मजबूत करना
- संचार एवं प्रसार पर विस्तार

विभिन्न देशों में सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले विविध कार्यकलाप

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि विश्व निकाय, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के साथ साझेदारी में काम करता है और सहकारी समितियों के संवर्धन और उन्नति समिति (COPAC) का सदस्य है, जो एक अंतर-एजेंसी समिति है जो सतत सहकारी विकास को बढ़ावा देती है। मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को दो साल की अवधि के लिए COPAC के रोटेटिंग चेयर के रूप में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसे समिति के सदस्यों के अनुरोध पर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2013 में SSE (TFSSE) पर संयुक्त राष्ट्र टास्क फोर्स का सह-संस्थापक भी है। जुलाई 2014 से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन UNTFSSE का अध्यक्ष रहा है, जिसमें वर्तमान में 18 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां सदस्य और 13 नागरिक समाज संगठन पर्यवेक्षक हैं।

6.3 अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत:

दुनिया की कुल सहकारी समितियों का लगभग 25% का घर होने के नाते और भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना होने के कारण, भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का संस्थापक सदस्य है। भारत सहकारी क्षेत्र में कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। श्री पंकज कुमार बंसल, संयुक्त सचिव (सहकारिता) और एमडी, एनसीडीसी को बैंकॉक, थाईलैंड में 3-6 नवंबर, 2022 के दौरान महासभा सत्र में 2023 और 2024 की अवधि के लिए एशिया और प्रशांत में कृषि सहकारी समितियों के विकास के लिए नेटवर्क (एनईडीएसी) के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। NEDAC, एक अद्वितीय क्षेत्रीय मंच, 1991 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा सहकारी मंत्रियों के 1990 ICA क्षेत्रीय सम्मेलन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। वर्तमान में, NEDAC में 9 देशों के 57 सदस्य हैं।

भारत के प्रतिनिधियों ने NEDAC जनरल असेंबली 2022 बैंकॉक, थायलैंड में प्रतिभाग लिया

6.4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का डेटाबेस

सहकारी आंकड़ों का कोई वैश्विक स्तर का व्यापक डेटाबेस नहीं है क्योंकि सांख्यिकीय कार्यालय अलग-अलग देशों में सहकारी समितियों का अलग-अलग विश्लेषण करते हैं। इसलिए, पूरा

चित्र प्राप्त करना कठिन है। कुछ प्रमुख रिपोर्टें और उपकरण हैं जो सहकारी समितियों पर कुछ वैश्विक डेटा प्रदान करते हैं:

i. विश्व सहकारी मॉनिटर

ii. सहकारिता एवं रोजगार

iii. सहकारी समितियों को मापना: सहकारी समितियों के आंकड़ों से संबंधित आईएलओ दिशानिर्देशों पर एक सूचना मार्गदर्शिका

6.5 विश्व सहकारी मॉनिटर (WCM)

विश्व सहकारी मॉनिटर (WCM) एक परियोजना है जिसे दुनिया भर में सहकारी समितियों के बारे में मजबूत आर्थिक, संगठनात्मक और सामाजिक डेटा एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वैश्विक सहकारी आंदोलन पर वार्षिक मात्रात्मक डेटा एकत्र करने वाली अपनी तरह की एकमात्र रिपोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन और यूरीक्स द्वारा 2011 से प्रतिवर्ष प्रकाशित, इसका उद्देश्य वैश्विक परिदृश्य और उनके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संदर्भों में सहकारी समितियों के सामाजिक-आर्थिक मूल्य और प्रभाव पर रिपोर्टिंग करने वाला एक बहु-आयामी डेटाबेस विकसित करना है। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर पूर्व ग्लोबल 300 परियोजना का उत्तराधिकारी है। विश्व सहकारी मॉनिटर के प्रमुख लक्ष्य हैं;

(क) आर्थिक, कर्मचारी और सदस्यता डेटा युक्त बड़ी सहकारी समितियों पर एक अद्यतन डेटाबेस बनाए रखना;

(ख) आर्थिक और सामाजिक दोनों परिप्रेक्ष्य से बड़ी सहकारी समितियों के प्रभाव की निगरानी और प्रदर्शन करके आंदोलन को दृश्यता प्रदान करना;

(ग) बड़ी सहकारी समितियों की ज्ञान आवश्यकताओं का जवाब दें, उनकी रुचि के पहलू पर तदर्थ मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान दोनों प्रदान करें।

विश्व सहकारी मॉनिटर, 2022 के अनुसार, टर्नओवर रैंकिंग के शीर्ष 300 कुल 2,170.99 बिलियन अमरीकी डालर का प्रतिनिधित्व वर्ष 2020 के लिए करते हैं, जिसमें अधिकांश उद्यम बीमा क्षेत्र (101 उद्यम) और कृषि क्षेत्र (100 उद्यम) में काम कर रहे हैं, इसके बाद थोक और खुदरा व्यापार (59 उद्यम)। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से अधिक टर्नओवर के मामले में शीर्ष 300 में, कृषि क्षेत्र 101 संगठनों के साथ खड़ा है, जबकि बीमा क्षेत्र में 85 उद्यम हैं, इसके बाद थोक और खुदरा व्यापार (57 उद्यम) हैं।

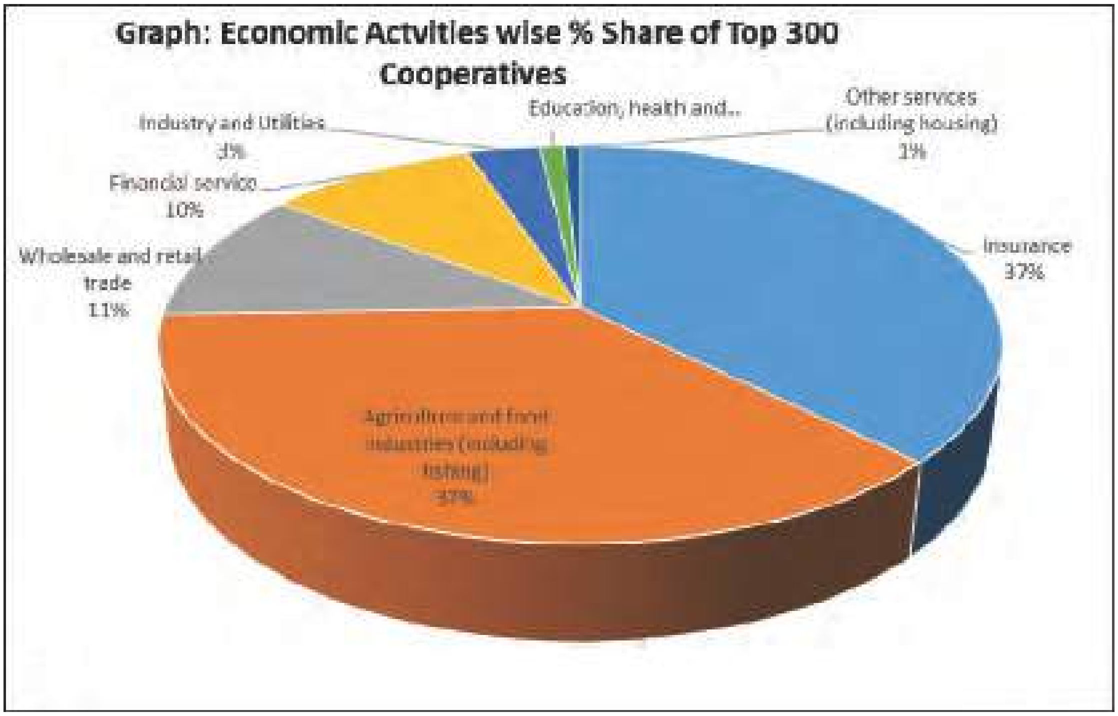

दिनांक 12-15 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली, भारत में अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन (IDF) वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन समिट का आयोजन

अमेरिकी डॉलर में टर्नओवर के मामले में शीर्ष 300 सहकारी समितियों में, भारत में तीन सहकारी समितियां हैं। इफको (2019 में 97वीं रैंक/60वीं रैंक), अमूल (2019 में 100वीं रैंक/95वीं रैंक), कृभको (2019 में 279वीं रैंक/253वीं रैंक)। जबकि प्रति व्यक्ति टर्नओवर/जीडीपी के मामले में

भारत की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में 16 सहकारी समितियां हैं, जिसमें इफको और अमूल क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं और कृभको 17वें स्थान पर है।

तालिका 6.5: विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में भारतीय सहकारी समितियों की सूची
(प्रति व्यक्ति टर्नओवर/जीडीपी के अनुसार)

क्र. सं.	सहकारी समिति का नाम	रैंक 2020	रैंक 2019
1	इफको	1	1
2	गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड (AMUL)	2	3
3	कृभको	17	17
4	केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	35	--
5	सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड	60	59
6	महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	77	56
7	एसवीसी बैंक लिमिटेड	132	111
8	कर्नाटक राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड	138	124
9	कॉसमॉस सहकारी बैंक लिमिटेड	145	--
10	यूएलसीसीएस लिमिटेड	172	139
11	टीजेएस बैंक लिमिटेड	175	150
12	आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	182	184
13	बुलडाणा अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (बीयूसीसीएस)	184	181
14	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	195	168
15	गुजरात राज्य सहकारी बैंक लि	203	187
16	उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक	212	206

स्रोत: वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, 2022

3.6 उद्योग और सेवाओं में सहकारी समितियों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (सीआईसीओपीए)

औद्योगिक और सेवा सहकारी समितियों के लिए आईसीए के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संगठन सीआईसीओपीए ने 2014 के सहकारी शिखर सम्मेलन में पहली बार "सहकारिता और रोजगार: एक वैश्विक रिपोर्ट" अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें वैश्विक स्तर पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से सहकारी रोजगार के महत्व पर चर्चा की गई। इसका दूसरा संस्करण सितंबर 2017 में प्रकाशित हुआ और 156 देशों के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे सहकारी समितियां लचीले रोजगार, एक टिकाऊ अर्थव्यवस्था और काम पर लोगों की भलाई में योगदान देती हैं।

अध्याय 7

प्रमुख घटनाएं

7.1 राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, 25 सितंबर, 2021

7.2 माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने अमूल बनास काशी संकुल परियोजना की 23 दिसम्बर 2021 को आधारशिला रखी

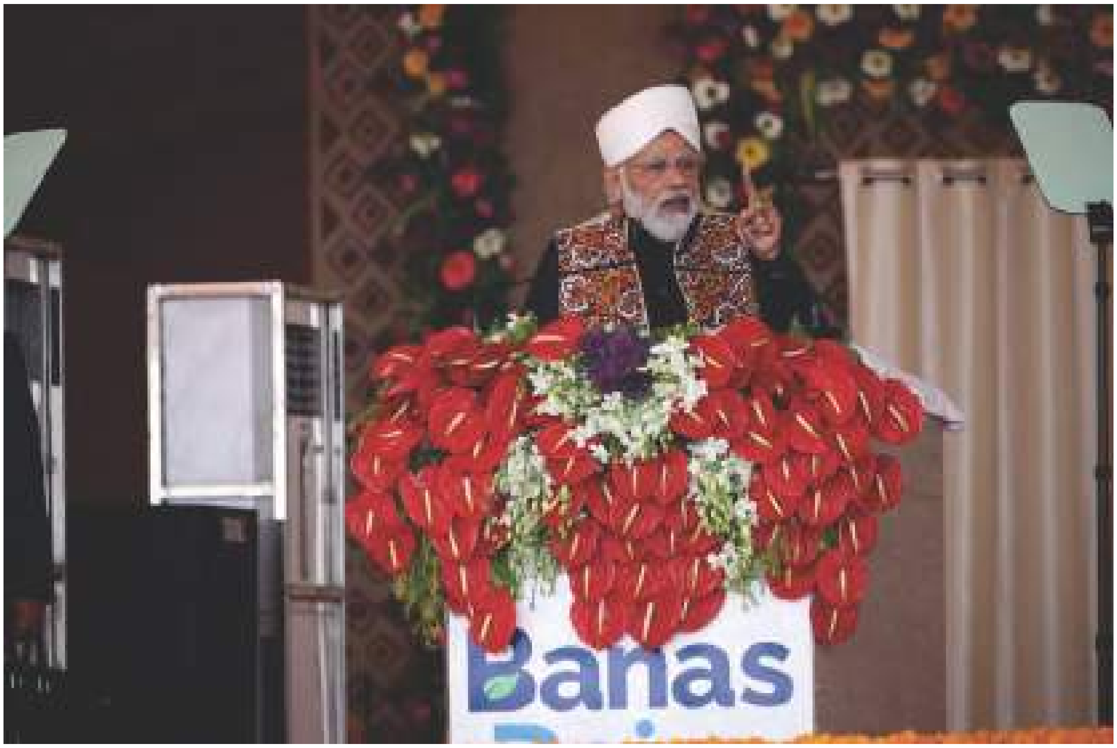

7.3 गांधीनगर में एनसीडीएफआई का स्वर्ण जयंती उत्सव 10 अप्रैल 2022 में

7.4 नई दिल्ली में सहकारी नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन 12-13 अप्रैल 2022

7.5 माननीय प्रधान मंत्री द्वारा विश्व के प्रथम नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का कलोल, गांधीनगर, गुजरात में उद्घाटन 28 मई 2022 को किया

7.6 NAFCUB और सहकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 जून 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कान्क्लेव का आयोजन

7.7 NCUI द्वारा 100वां अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन, 4 जुलाई 2022

7.8 ARDBs की राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2022

7.9 माननीय प्रधान मंत्री ने 28 जुलाई, 2022 को सबर डेयरी का यूएचटी (UHT) दुग्ध संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया

7.10 जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग का ई- लॉन्च, 9 अगस्त 2022

7.11 ग्रामीण सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन, 12 अगस्त 2022

7.12 NAFED द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, 22 अगस्त 2022

7.13 राज्य सहकारिता मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, 8-9 सितंबर 2022, नई दिल्ली

7.14 माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 14 सितंबर 2022, को कृभको हजीरा, सूरत में बायो-एथनॉल संयत्र की आधारशिला रखी गई

7.15 IDF वर्ल्ड डेयरी समिट, 12 -15 सितंबर 2022, ग्रेटर नोएडा

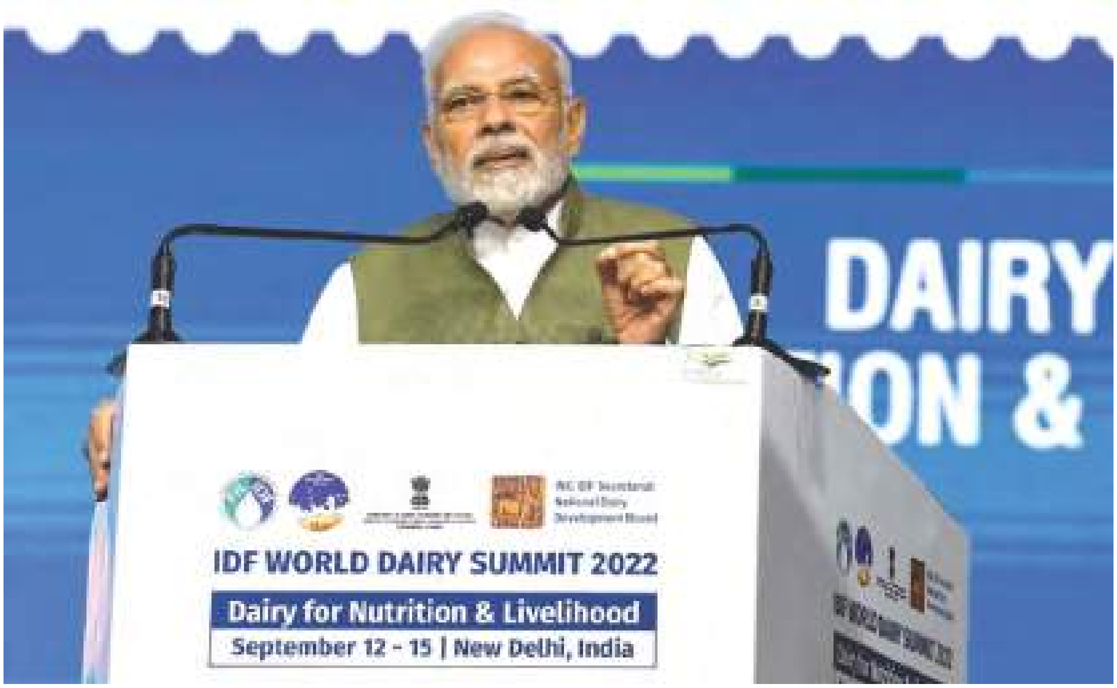

7.16 माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2022 को हजीरा, सूरत में बायो एथनॉल संयत्र की आधारशिला रखी गई

7.17 गंगटोक में सहकारी डेयरी कॉनक्लेव, 7 अक्टूबर 2022

7.18 31 अक्टूबर 2022 को अमूल का 75 वाँ स्थापना दिवस समारोह मनाया गया

7.19 झारखंड के देवघर में इफको (IFFCO) नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना, 4 फरवरी 2023 को

7.20 कर्नाटक के पुतर में CAMPCO का स्वर्ण जयंती समारोह, 11 फरवरी 2023 को

अनुबंध

अनुबंध -I

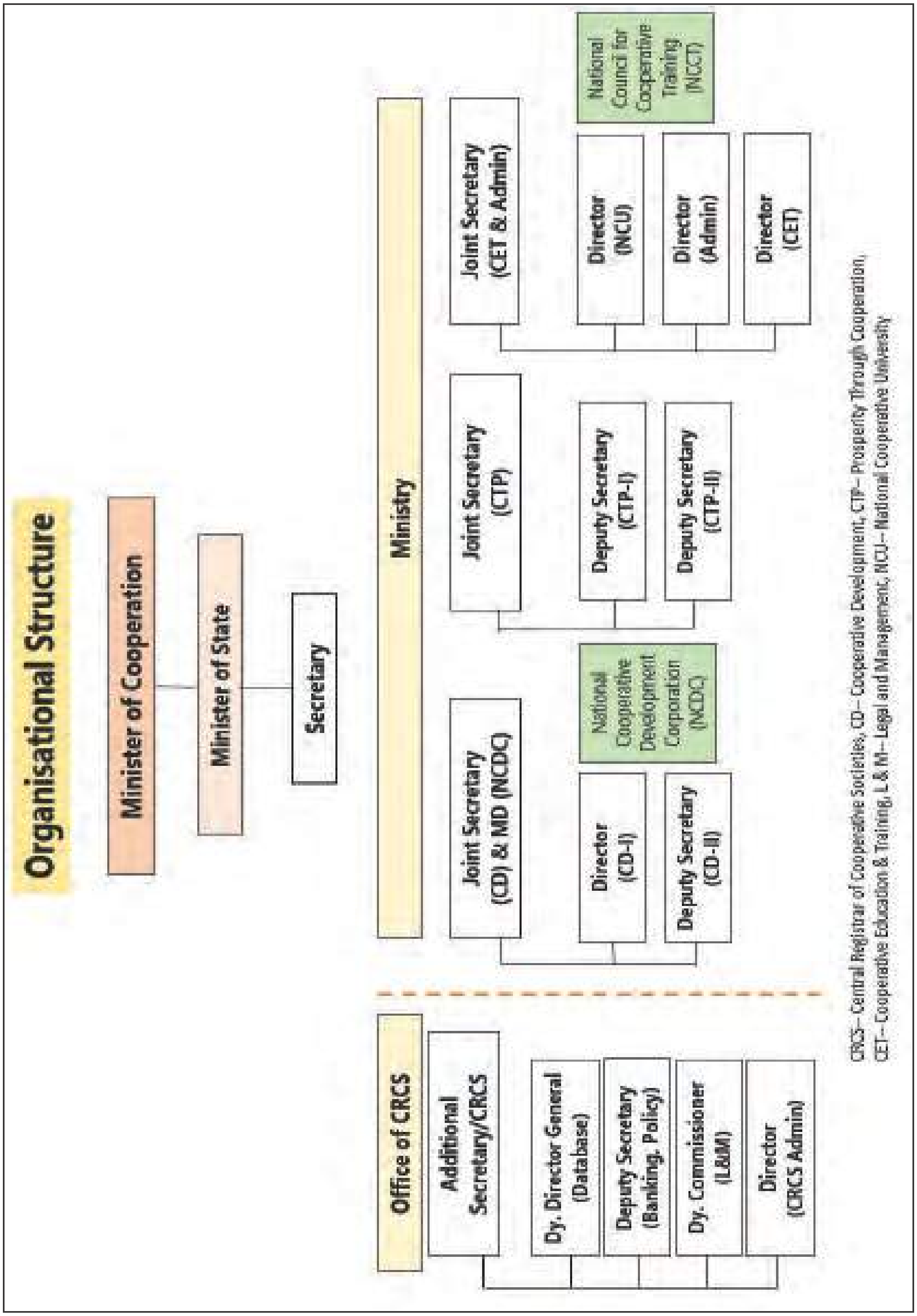
Organisational Structure
Minister of Cooperation
Minister of State
Secretary
Office of CRCS
Additional Secretary/CRCS
Dy. Director General (Database)
Deputy Secretary (Banking, Policy)
Dy. Commissioner (L&M)
Director (CRCS Admin)
Ministry
Joint Secretary (CD) & MD (NCDC)
Director (CD-I)
Deputy Secretary (CD-II)
National Cooperative Development Corporation (NCDC)
Joint Secretary (CTP)
Deputy Secretary (CTP-I)
Deputy Secretary (CTP-II)
Joint Secretary (CET & Admin)
Director (NCU)
Director (Admin)
Director (CET)
National Council for Cooperative Training (NCCT)
CRCS– Central Registrar of Cooperative Societies, CD– Cooperative Development, CTP– Prosperity Through Cooperation,
CET– Cooperative Education & Training, L & M– Legal and Management, NCU– National Cooperative University

अनुबंध -II

तालिका 1: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में शामिल राष्ट्रीय सहकारी समितियों की सूची

क्रम सं.	राष्ट्रीय सहकारी समिति का नाम
1	नैशनल कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई (NAFCARD)
2	नैशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई (NAFSCOB)
3	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली। (NCUI)
4	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली (NAFED)
5	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF)
6	नैशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड (NFCSF)
7	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली (NCHF)
8	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली (IFFCO)
9	ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई
10	नैशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आनंद (NCDFI)
11	ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली, नई दिल्ली
12	नैशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली (NAFCUB)
13	कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली (KRIBHCO)
14	नैशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली (FISCOPFED)
15	नैशनल फेडरेशन ऑफ लेबर कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली (NLCF)
16	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, नई दिल्ली (TRIFED)
17	राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड, आनंद, गुजरात
18	भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली
19	राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, नई दिल्ली

अनुबंध -III

तालिका 2: 28 फरवरी, 2023 तक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के तहत देश के विभिन्न राज्यों में पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों की सूची।

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र के नाम	सहकारी समितियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	24
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	6
4	बिहार	19
5	चंडीगढ़	1
6	छत्तीसगढ	8
7	दादरा और नगर हवेली	1
8	गोवा	1
9	गुजरात	43
10	हरियाणा	21
11	हिमाचल प्रदेश	1
12	जम्मू और कश्मीर	2
13	झारखंड	9
14	कर्नाटक	29
15	केरल	30
16	मध्य प्रदेश	29
17	महाराष्ट्र	670
18	मणिपुर	3
19	नागालैंड	1
20	नई दिल्ली	161
21	ओडिशा	19
22	पुडुचेरी	6
23	पंजाब	24
24	राजस्थान	72
25	सिक्किम	1
26	तमिलनाडु	126
27	तेलंगाना	9
28	उत्तर प्रदेश	161
29	उत्तराखंड	5
30	पश्चिम बंगाल	69
	कुल	**1552**

तालिका 3: 28 फरवरी, 2023 तक बहुराज्य सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों की क्षेत्रवार सूची।

क्रम सं.	क्षेत्र	सहकारी समितियों की संख्या
1	क्रेडिट	617
2	एग्रो	292
3	आवासन	143
4	बहु-उद्देश्यीय	101
5	डेयरी	95
6	सहकारी बैंक	66
7	विपणन	35
8	औद्योगिक	33
9	राष्ट्रीय महासंघ	21
10	कल्याण	20
11	उपभोक्ता	10
12	निर्माण	8
13	पर्यटन	9
14	मत्स्यपालन	9
15	हथकरघा/हस्तशिल्प	4
16	तकनीकी	6
17	अन्य	69
18	स्वास्थ्य/अस्पताल	14
	कुल	**1552**

तालिका 4: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद, अर्थात् जुलाई-दिसंबर, 2021; 2022 और 28.02.2023 तक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार बहुराज्य सहकारी समितियां

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र नाम	सहकारी समितियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	2
5.	हरयाणा	6
6.	जम्मू एवं कश्मीर	1
7.	झारखंड	1
8.	केरल	10
9.	मध्य प्रदेश	1
10.	महाराष्ट्र	33
11.	मणिपुर	2
12.	नयी दिल्ली	4
13.	पंजाब	1

14.	तमिलनाडु	6
15.	तेलंगाना	2
16.	उतार प्रदेश	12
17.	उत्तराखंड	2
18.	पुड्डुचेरी	1
	कुल	**87**

तालिका 5: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद, अर्थात् जुलाई-दिसंबर, 2021; 2022 और 28.02.2023 तक के दौरान बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों की संख्या

क्रम सं.	वर्ष	सहकारी समितियों की संख्या
1.	**जुलाई से दिसंबर, 2021 तक**	8
2.	**जनवरी-दिसंबर, 2022**	68
3.	**2023 28 फरवरी तक**	11
	कुल	**87**

तालिका 6: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद, अर्थात् जुलाई-दिसंबर, 2021; 2022 और 28.02.2023 तक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत क्षेत्रकवार बहुराज्य सहकारी समितियां

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र के नाम	सहकारी समितियों की संख्या
1	कृषि	45
2	आवास	3
3	बहु-उपयोगी	1
4	सहकारी बैंक	4
5	औद्योगिक	1
6	राष्ट्रीय महासंघ	3
7	निर्माण	3
8	पर्यटन	1
9	मात्स्यिकी	3
10	तकनीकी	4
11	स्वास्थ्य/अस्पताल	17
12	क्रेडिट	1
13	अन्य (शिक्षा)	1
कुल		**87**

अनुबंध -IV

तालिका 5: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के चरण-I के तहत रिपोर्ट की गई सहकारी समितियों का राज्य-वार वितरण

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	पैक्स की संख्या	डेयरी की संख्या	मात्स्यिकी की संख्या	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	47	110	203
2	आंध्र प्रदेश	2042	723	2125	4890
3	अरुणाचल प्रदेश	34	23	7	64
4	असम	809	819	535	2163
5	बिहार	8481	7639	485	16605
6	चंडीगढ़	17	11	0	28
7	छत्तीसगढ़	2058	847	1669	4574
8	दिल्ली	0	0	0	0
9	गोवा	93	185	26	304
10	गुजरात	10262	16291	662	27215
11	हरियाणा	772	7263	124	8159
12	हिमाचल प्रदेश	2198	436	73	2707
13	जम्मू और कश्मीर	597	160	3	760
14	झारखंड	4295	63	531	4889
15	कर्नाटक	6039	17123	709	23871
16	केरल	1682	3430	989	6101
17	लद्दाख	158	74	1	233
18	लक्षद्वीप	0	0	3	3
19	मध्य प्रदेश	4541	9894	2735	17170
20	महाराष्ट्र	20928	13146	3365	37439
21	मणिपुर	250	803	759	1812
22	मेघालय	509	149	128	786
23	मिजोरम	84	61	39	184
24	नगालैंड	1166	156	370	1692
25	ओडिशा	2709	1045	769	4523
26	पुडुचेरी	56	119	69	244
27	पंजाब	3951	7047	6	11004
28	राजस्थान	7440	15706	136	23282
29	सिक्किम	178	395	6	579
30	तमिलनाडु	4483	9713	1445	15641
31	तेलंगाना	908	1690	4961	7559
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	7	30	19	56
33	त्रिपुरा	292	324	285	901
34	उत्तर प्रदेश	7477	17873	1110	26460
35	उत्तराखंड	671	2752	167	3590
36	पश्चिम बंगाल	5196	2142	375	7713
	कुल योग	**100429**	**138179**	**24796**	**263404**

अनुबंध -V

सहकारिता मंत्रालय
मांग संख्या-16
वार्षिक बजट रिपोर्ट

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	योजना का नाम/विवरण	बजट अनुमान (BE) 2022-23	संशोधित अनुमान (RE) 2022-23	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार व्यय का प्रतिशत (BE) 2022-23
	1	2	3	3	4
1	केंद्र का स्थापना व्यय				
I	सचिवालय	98.10	57.10	20.75	21.15%
II	अन्य संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालय (सीआरसीएस)	10.90	10.90	5.03	46.15%
	केन्द्र का कुल स्थापना व्यय	**109.00**	**68.00**	**25.78**	**23.65%**
2	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ				
I	कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (आईएसएसी)	50.00	664.96	411.80	823.60%
II	सहकारी चीनी मिलों (सीएसएमएस) के सुदृढ़ीकरण के लिए एनसीडीसी को अनुदान सहायता	-	-	500.00	-
III	सहकारी ऋण गारंटी निधि	1.00	0.00	0.00	-
IV	सहयोगी शिक्षा	30.00	30.00	0.00	-
V	सहकारी प्रशिक्षण	25.00	25.00	0.00	-
	कुल - केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ	**106.00**	**719.96**	**911.80**	**860.19%**
3	अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय				
	स्वायत्त निकाय				
I	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी)	39.00	38.00	35.75	91.67%
II	वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM)	11.00	9.78	38.25	347.73%
	कुल - स्वायत्त निकाय	50.00	47.78	74.00	148.00%
	कुल - अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय	**50.00**	**47.78**	**74.00**	**148.00%**
4	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ				
I	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण	350.00	350.00	495.00	141.43%
II	सहकारिता के माध्यम से समृद्धि	274.00	274.00	0.00	-
	कुल - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	**624.00**	**624.00**	**495.00**	**79.33%**
5	सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय				
I	सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	11.00	165.00	164.78	1498.00%
	कुल - सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	**11.00**	**165.00**	**164.78**	**1498.00%**
	कुल योग (1+2+3+4+5)	**900.00**	**1624.74**	**1671.36**	**185.71%**

सत्यमेव जयते

सहकारिता मंत्रालय

Ministry of Cooperation

भारत सरकार

Government of India

अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

वेबसाईट: www.cooperation.gov.in